

कार्यवाही विवरण

मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ग्राम-पूंजीपथरा, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) में मौजूदा स्टील संयंत्र के प्रस्तावित विस्तार के लिये ऑयरन ओर बेनिफिकेशन प्लांट 2.67 एम.टी.पी.ए., ऑयरन ओर पैलेटाइजेशन प्लांट 2x0.8 एम.टी.पी.ए., कोल वॉशरी 2.3 एम.टी.पी.ए., स्पंज ऑयरन प्लांट 2,97,000 टी.पी.ए., इण्डक्शन फर्नेस 3x20 टन (6/11 सी.सी.एम. के साथ), टी.एम.टी. रोलिंग 1,30,000 टी.पी.ए. स्ट्रिप मिल (ई.आर.डब्ल्यू. पाईप 1,00,000 टी.पी.ए. और गैल्वेनाइजिंग इकाई 30,000 टी.पी.ए.) के साथ केप्टिव पॉवर प्लांट 33 मेगावाट (डब्ल्यू.एच.आर.बी. 23 मेगावाट + ए.एफ.बी.सी. 10 मेगावाट की स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई दिनांक 20.11.2024 का कार्यवाही विवरण :-


भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार, मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ग्राम-पूंजीपथरा, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) में मौजूदा स्टील संयंत्र के प्रस्तावित विस्तार के लिये ऑयरन ओर बेनिफिकेशन प्लांट 2.67 एम.टी.पी.ए., ऑयरन ओर पैलेटाइजेशन प्लांट 2x0.8 एम.टी.पी.ए., कोल वॉशरी 2.3 एम.टी.पी.ए., स्पंज ऑयरन प्लांट 2,97,000 टी.पी.ए., इण्डक्शन फर्नेस 3x20 टन (6/11 सी.सी.एम. के साथ), टी.एम.टी. रोलिंग 1,30,000 टी.पी.ए. स्ट्रिप मिल (ई.आर.डब्ल्यू. पाईप 1,00,000 टी.पी.ए. और गैल्वेनाइजिंग इकाई 30,000 टी.पी.ए.) के साथ केप्टिव पॉवर प्लांट 33 मेगावाट (डब्ल्यू.एच.आर.बी. 23 मेगावाट + ए.एफ.बी.सी. 10 मेगावाट की स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई दिनांक 20.11.2024, दिन-बुधवार को प्रातः 11:00 बजे से स्थल-मेसर्स स्केनिया स्टील्स एंड पावर्स प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट-2) के पीछे, पूंजीपथरा से तुमीडीह मार्ग, ग्राम-पूंजीपथरा, ग्रामपंचायत-सामारुमा, तहसील-घरघोड़ा जिला-रायगढ़ (छ.ग.) में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी रायगढ़, की अध्यक्षता में लोकसुनवाई प्रातः 11:00 बजे प्रारंभ की गई। लोक सुनवाई में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रायगढ़ तथा क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल रायगढ़ उपस्थित थे। लोक सुनवाई में आसपास के ग्रामवासी तथा रायगढ़ के नागरिकों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं ने भाग लिया। सर्वप्रथम पीठासीन अधिकारी द्वारा उपस्थित प्रभावित परिवारों, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों, ग्रामीणजनों, एन.जी.ओ. के पदाधिकारी, गणमान्य नागरिक, जन प्रतिनिधि तथा इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट मिडिया के लोगों का स्वागत करते हुये जन सुनवाई के संबंध में आम जनता को संक्षिप्त में जानकारी देने हेतु क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी को निर्देशित किया। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन दिनांक 14.09.06 के प्रावधानों की जानकारी दी गयी, साथ ही कोविड 19 के संबंध में गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश दिनांक 30.09.2020 के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, हेण्डवाश अथवा सेनेटाइजर का उपयोग किये जाने, मास्क पहनने एवं थर्मल स्केनिंग किये जाने की जानकारी दी गई।




पीठासीन अधिकारी महोदय द्वारा कंपनी के प्रोजेक्ट हेड तथा पर्यावरण सलाहकार को प्रोजेक्ट की जानकारी, पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव, रोकथाम के उपाय तथा आवश्यक मुद्दे से आम जनता को विस्तार से अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया।

लोक सुनवाई में कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा परियोजना के प्रस्तुतीकरण से प्रारंभ हुई।

श्री जे.के. सिन्हा कंसल्टेंट इन्वायरोटेक प्राइवेट लिमिटेड – माननीय पीठासीन अधिकारी, अतिरिक्त जिला अधिकारी, क्षेत्रीय अधिकारी छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल रायगढ़, पुलिस के सभी अधिकारी, पत्रकारगण एवं भाई-बहनों सभी मैं इस लोक जनसुनवाई में ए.के. सिन्हा स्वागत करता हूँ। मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड पूर्व में सिद्धिविनायक प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था जो 25 अगस्त 1995 को शामिल किया गया। कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय 22 कि.मी. दूर स्थित घरघोड़ा रोड पूंजीपथरा रायगढ़ छ.ग. में स्थित है और इसे श्री संजय गड़ोदिया निर्देशक द्वारा शामिल किया गया है। कम्पनी की एक इकाई ग्राम पूंजीपथरा, खरसिया, तमनार, जिला-रायगढ़ छ.ग. में संचालित हो रही है, जिसमें डीआरआई 110 पर डे प्रतिदिन क्षमता की 4 इकाई अभी चल रही हैं। उसके साथ-साथ 8 मेगावाट वेस्ट हीट बॉयलर पर आधारित है उसका संचालन हो रहा है इसके अलावा इसमें 6 टन की एक इकाई एवं 8 टन की एक इकाई इण्डक्शन फर्नेस लगी हुई है फिलहाल ओ अभी संचालन में नहीं है। इसके अलावा 15 टन की 2 इकाई है जो प्रक्रियाधीन है इसके लिये एम.ओ.एफ.सी.सी. से पर्यावरण मंजूरी ली गई है। मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड अपने मौजूदा स्टील्स प्लांट का विस्तार करने जा रही है जिसमें ऑयरन ओर बेनिफिकेशन प्लांट 2.67 एम.टी.पी.ए., ऑयरन ओर पैलेटाईजेशन प्लांट 2X0.8 एम.टी.पी.ए., कोल वॉशरी 2.3 एम.टी.पी.ए., स्पंज ऑयरन प्लांट 2,97,000 टी.पी.ए., इण्डक्शन फर्नेस 3X20 टन (6/11 सी.सी.एम. के साथ), टी.एम.टी. रोलिंग 1,30,000 टी.पी.ए. स्ट्रिप मिल (ई.आर.डब्ल्यू. पाईप 1,00,000 टी.पी.ए. और गैल्वेनाइजिंग इकाई 30,000 टी.पी.ए.) के साथ केप्टिव पॉवर प्लांट 33 मेगावाट (डब्ल्यू.एच. आर.बी. 23 मेगावाट + ए.एफ.बी.सी. 10 मेगावाट की स्थापना कम्पनी के आस-पास की भूमि पर प्रस्तावित है पहले से ही इण्डक्शन फर्नेस आदि लगा हुआ है। 350 टन की 2 इकाईयां है। इण्डक्शन फर्नेस 20 टन की 3 इकाई प्रस्तावित है। कोल वॉशरी है, ऑयरन ओर बेनिफिकेशन, पैलेटाईजेशन प्लांट, गैसीफायल, फर्नेस, स्ट्रिप रोलिंग मिल, टी.एम.टी. बार रोलिंग मिल, गैल्वेनाइजिंग प्रस्तावित है। इसमें कुल 37.23 भूमि की आवश्यकता है जिसमें 23.47 भूमि पर पहले से ही प्लांट लगा हुआ है। इसके अलावा जो पानी की आवश्यकता होगी जिसमें फ्रेश वाटर का रिसायक्लिंग किया जायेगा। मैक्सिमम 930 लीटर वाटर रिसायक्लिंग किया जायेगा। कुल विद्युत 37.5 मेगावाट की आवश्यकता होगी। शून्य उत्सर्जन का प्लांट होगा। प्लांट के अंदर ही उपयोग किया जायेगा। वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिये ई.एस.पी., बैग फिल्टर लगाया जायेगा जो चिमनी से निकलेगा उसमें 30 मिलीग्राम प्रति सामान्य घनमीटर के अनुरूप रखा जायेगा। कोल वॉशरी ऑयरन ओर बेनिफिकेशन से उत्पन्न अपशिष्ट को ईट निर्माण इकाईयों को प्रदाय किया जायेगा। फलाई ऐश को ईट निर्माण एवं सीमेंट निर्माण इकाईयों को विक्रय किया



जायेगा। घरेलू ठोस अपशिष्ट का उचित निपटान एवं भू भराव सड़क निर्माण में किया जायेगा। इसमें 1800 रोजगार नियमित एवं संविदात्मक पैदा होंगे जो स्थानीय लोगो को योग्यता शिक्षा के अनुसार रोजगार दिया जायेगा। इसमें पर्यावरणीय आकलन किया गया जिसमें परिवेशीय गुणवत्ता मापी गई जिसमें 8 स्थानों पर मॉनिटरिंग किया गया, मॉनिटरिंग में सल्फर डाई ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड भारतीय मानकों के अनुरूप पाया गये। जल गुणवत्ता केलो नदी और अन्य जगहों पर किये गये। ग्राउण्ड वाटर के लिये कुल 9 स्थानों पर सैंपल लिया गया। इसके अलावा ध्वनि स्तर के लिये 10 स्थानों पर मानीटरिंग की गई जो भारतीय मानकों के अनुरूप पाये गये। उम्मीद है प्रस्तावित परियोजना से रोजगार एवं अन्य सहयोग मिलेगा और लोगों का जीवन स्तर में सुधार होगा। वायु गुणवत्ता का प्रभाव भी चिमनी से जो धुआं निकलता है उसके लिये स्टडी की गई। जल के शून्य निस्सारण का पालन किया जायेगा, ई.टी.पी. और एस.टी.पी. का प्रावधान किया जायेगा। प्रोजेक्ट पहले से चल रहा है जिसमें निर्धारित मानको का पहले से ही पालन किया जायेगा। भूमि अंदर का ही अतिरिक्त नहीं ले रहे है। वृक्षारोपण किया गया है जो पहले से 33 प्रतिशत है और अतिरिक्त भूमि के लिये पेड़-पौधे वृक्षारोपण किया जायेगा, इससे वायु की गुणवत्ता में कॉफी सुधार होगा। इसके अलावा मैंने बताया रोजगार के लिये कॉफी समस्या होती है आपलोगों का सहयोग होगा तो प्रस्तावित प्लांट आने से सभी का भला होगा। लोगों की परिवारों में सुधार होगा। इसके साथ ही मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। "धन्यवाद"!

पीठासीन अधिकारी महोदया द्वारा समुदायिक संस्थानों, पत्रकारगणों तथा जन सामान्य से अनुरोध किया कि वे परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव, जनहित से संबंधित मुद्दों पर अपना सुझाव, विचार, आपत्तियां अन्य कोई तथ्य लिखित या मौखिक में प्रस्तुत करना चाहते है तो सादर आमंत्रित है। यहां सम्पूर्ण कार्यवाही की विडियोग्राफी कराई जा रही है।

आपके द्वारा रखे गये तथ्यों, वक्तव्यों/बातों के अभिलेखन की कार्यवाही की जायेगी तथा आपसे प्राप्त सुझाव, आपत्ति तथा ज्वलंत मुद्दों पर प्रोजेक्ट हेड तथा पर्यावरण सलाहकार द्वारा बिन्दुवार तथ्यात्मक स्पष्टीकरण भी दिया जायेगा। सम्पूर्ण प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता बरती जायेगी, पुनः अनुरोध किया कि आप जो भी विचार, सुझाव, आपत्ति रखे संक्षिप्त, सारगर्भित तथा तथ्यात्मक रखें ताकि सभी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर मिले तथा शांति व्यवस्था बनाये रखने का अनुरोध किया गया।

इसके उपरांत उपस्थित जन समुदाय से सुझाव, विचार, टीका-टिप्पणी आमंत्रित की गयी, जो निम्नानुसार है -

सर्व श्रीमती/सुश्री/श्री -

1. जगमोहन यादव, सामारूमा – मैं पूजीपथरा और सामारूमा दोनों जगह निवास करता हूँ। ग्राम पंचायत मेरा सामारूमा है, ग्राम पंचायत में मेरा शासकीय भूमि है, यहां भी 11 एकड़ 30 डिसमील है वहां 5 एकड़ 30 डिसमील है। कल हमारे बाल-बच्चे को रखने के लिये जगह कहां रह गया, किस जगह रहेंगे। सब ले लेंगे उद्योगपति तो क्या करेंगे। मैं सरपंच सचिव और उनके साथ आते हैं सभी मेम्बर्स को भी बोल रहा हूँ एनओसी दिया हूँ, वार्ड वाले का भी पूछना चाहिए आज तक कोई पूछे हैं वार्ड वाले को, नहीं पूछना है 5 एकड़ वहां चला गया 11 एकड़ यहां चला गया कल हमारे बाल-बच्चे होंगे कहां रहेंगे, 3 डिसमील दे देते 3 डिसमील सरकार के हमारी, हमलोग अपने कष्ट से लगाये हैं 3 डिसमील का हक है। 11 एकड़ दे रहें हैं 5 एकड़ दे रहें हैं इतनी विधि कहां से आ गया। नौकर हैं हम, हाथ जोड़के आते हैं बन्दूक चलाते जाते हैं विष्णुदेव के पास जाओ चार बंदूकधारी मिलेंगे आप नहीं मिल पाओगे लेकिन कल उसकी पद छूट जायेगा तो हमारी चौखट चुमेगा ओ। नरेन्द्र मोदी कल हमारी चौखट चुमेंगा, लेकिन आज नहीं चुमेगा, उनके पास तो हम पहुंच ही नहीं पायेंगे। सरपंच एन.ओ.सी. दे दिया लेकिन कलेक्टर क्यों नहीं दिया। क्या सरपंच को बोल रहे हैं एन.ओ.सी. देने के लिए। सरकार के हाथो दबाब बना है कलेक्टर। कलेक्टर कौन होता है हमारी जमीन को एन.ओ.सी. देने के लिये। अभी आये है सब कुछ न कुछ लोग समर्थन देंगे और विरोध करेंगे। मैं विरोध करता हूँ। मेरे को बताइये कहां पर जमीन दिये है। मैं तो चुनाव के बाद रैली निकालुंगा, शांति दल, उसमें तीन दल रहेगा एक गरम दल, एक नरम दल और एक अशांति दल रहेगा। मैं अनपढ़ जरूर हूँ। मेरे विचार जरूर काम करेंगे गरम दल, नरम दल, और अशांति दल मिलके। मेरे को मेरी जमीन कब्जा में चाहिये और मेरे को जमीन नजर में दिखना चाहिये तब समर्थन करुंगा नही तो विरोध कर रहा हूँ। आज आप 600 आदमी को बुला लोगे, रसगुल्ला दोगे, खाना दोगे, लेकिन कल के लिये कौन देगा। हमको आवास पलाट देने के लिये बोल रहे हैं, मैं इसको अपाहिज कर रहा हूँ, इसका विरोध कर रहा हूँ और चुनाव के बाद शांति और अशांति दल सब निकल जायेगा। मेरा 11 एकड़ 30 डिसमील को पहले लाओ, कौन लिया है जमीन कैसे लिये हैं कौन मालिक हैं मैं नहीं जानता मेरे जमीन को कौन लिया है मैं देखुंगा तो इसको एन.ओ.सी. दूंगा। 2 महिना बचा है चुनाव फिर आ जायेगा जगमोहन यादव एक बार। हम तो बंद होने के लिये नही तो जनसुनवाई के लिये कभी नहीं आया हूँ लेकिन आज मुझे दर्द हुआ अपने बाल बच्चों के लिये नहीं बचा पा रहा हूँ तो मैं किसके लिये क्या करू? 100-200 के लिये जगमोहन कुत्ता नहीं है।
2. दयाराम, तराईमाल – मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर्स प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
3. कन्हैयालाल, सराईपली – मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर्स प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
4. सीमा, तराईमाल – मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर्स प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
5. मंगली, तराईमाल – मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर्स प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।



151. जमनी – मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
152. आरती, पूंजीपथरा – मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
153. ज्योति, सामारूमा – मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
154. संतोषी, सामारूमा – मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
155. निरा, सामारूमा – मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
156. पुष्पा बाई – मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
157. सविता, पूंजीपथरा – मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
158. सरीता – मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
159. मनीश कुमार, पूंजीपथरा – मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
160. सुशील, तराईमाल – मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
161. विपिन कुमार डनसेना, गेरवानी – जनसुनवाई में आज मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ। हो सकता है पक्ष में हो जाय या विपक्ष में हो जाय। महोदय जी आज हम समर्थन या विरोध कर रहे हैं आज हमारी हैसियत क्या है, जिस समय हमें जमीन की आवश्यकता थी हमने जमीन बेचा बहुत प्यार से पैसा लिये और बहुत दिये आज हमलोग प्रदूषण में हैं जल प्रदूषण नजर आ रहा है वायु प्रदूषण नजर आ रहा है पहले क्यों नहीं आया, उस दिन क्यों नहीं सोचे हम। इनको छोड़िये गांव की जनसंख्या अशिक्षित थी, नहीं जानते हैं कुछ। लेकिन हमने जनप्रतिनिधि चुना, चाहे विधानसभा का हो चाहे ग्राम पंचायत का हो चाहे सांसद हो क्या किसी जनसभा में आजतक किसी जनप्रतिनिधि ने आकर बोला है, ये तो मूर्खों की राज हो गई। हमारी समस्याएं ही नहीं दिखती हैं हम किस बात का विरोध करें उन नेताओं का विरोध करें, किसान भाइयों का विरोध करें उन जनप्रतिनिधियों का विरोध करें, जब सारे के सारे एक साथ हैं। यहां सब अंधे लोग बैठे हैं। मैं पानी लाकर दिया, जल लाकर दिया लेकिन क्या उसका जांच हुआ तो क्या हासिल हुआ। मैं क्यों विरोध करू, मेरा क्या फायदा? मैं अकेले किसी का विरोध करके क्या छिन लूंगा, कुछ नहीं हो सकता। इसलिये मैं मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ। “धन्यवाद!”
162. आशीष जायसवाल, घरघोड़ा – मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
163. निर्मल, घरघोड़ा – मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
164. महेश्वर, पूंजीपथरा – मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
165. सहसराम, पूंजीपथरा – मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
166. संतराम – मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
167. वेदप्रकाश – मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
168. अमित कुमार, तराईमाल – मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

Asaly

J

227. सुमन – मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
228. जयकुमार – यहा सरपंच है उपसरपंच है पानी नहीं उतरना चाहिये आप छेक कर रखो लेकिन नहीं उतरना चाहिये और जमीन में हम बैठने नहीं देंगे। स्केनिया प्लांट का विरोध कर रहे है। हम लोगो का बाल बच्चा है तो कहां जायेंगे पानी नहीं मिल रहा है तो कहां जायेंगे। हम लोग तो नहीं देंगे जो भी समझो। आप लोग सरपंच, सचिव को बुला लो यहां हम बोल रहे है हम नहीं दे पायेंगे।
229. उर्मिला, सामारूमा – मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
230. निर्मती – मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
231. तरशिला तिकी – मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
232. धनपति – मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
233. मंगला – मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
234. सवीता – मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
235. लक्ष्मी – मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
236. बसंती, सामारूमा – मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
237. अंजना, सामारूमा – मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
238. हिलेश्वरी, सामारूमा – मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
239. सुकांति, सामारूमा – मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
240. सशी, सामारूमा – मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
241. चंपा, सामारूमा – मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
242. गिरजा, सामारूमा – मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
243. दिपिका, सामारूमा – मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
244. सुखमती, सामारूमा – मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
245. सुरुची, गोदगोदा – मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है। गोदगोदा क्यों नहीं लिखाया। इसलिये बोलते है हम लोगो का नाम नहीं आता है चेक कीजिये। जब सभी को मौका मिलता है तो इसको क्यों नहीं मिला। सरपंच और उपसरपंच को बोलिये गोदगोदा का भी नाम आये। अभी वहां रोड बना है। वहां पीने के लिये पानी नहीं है।
246. सुशीला साहू, पड़कीपहरी – मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
247. रामबाई, पड़कीपहरी – मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
248. पवित्रा – मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
249. चारबाई – मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

Asaly

S

365. पुरुषोत्तम – मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
366. सुमित, तराईमाल – मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
367. देवराज, तराईमाल – मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
368. देवेन्द्र, पूंजीपथरा – मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
369. अजय मांझी – मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
370. निरज सिंह, सामारूमा – मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
371. दीप कुमार, पड़कीपहरी – मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
372. विकास सिंह – मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
373. छेद – मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
374. परसाय – मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
375. गगन – मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
376. लक्ष्मी साहू – मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
377. सेवाबाई महंत, पूंजीपथरा – मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
378. सविता रथ – श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी रायगढ़ इस इआईए को बनाने वाली कंपनी कंसलटेंट्स, यहां बैठे विभाग जो भी युवा और प्रभावित ग्रामीण सबको मेरा नमस्कार अभिनंदन आज हम इस जनसुनवाई मेसर्स स्केनिया स्टील एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जो आज पूंजीपथरा तहसील तमनार में जो मौजूदा स्टील संयंत्र प्रस्तावित विस्तार के लिए जो आयरन और बेनिफिकेशन प्लांट है 2.67 एमटीपीए आयरन और प्लेटाइजेशन प्लांट जो भी तमाम आपके बैनर के पीछे लिखे हैं और इस इआईए के जो समरी पर लिखे हैं क्षमता विस्तार के लिए जो पर्यावरणीय जनसुनवाई का आयोजन कराने आए हैं आदरणीय इसमें कुछ-कुछ जो पर्यावरणीय मुद्दे हैं और कुछ सामाजिक मुद्दे हैं हम इस क्षेत्र की पारिस्थितिक तंत्र यहां के जैव विविधता यहां के जल स्रोत यहां के जो रहवासी आदिवासी समुदाय एसटी एससी जो गरीब और मजदूर तपके के जो साथी यहां रहते हैं उन सब की जीवन में जो पड़ने वाले असर के साथ-साथ जो यहां का पशुपालन यहां की जो खाद्य सुरक्षा यहां के जो जन संरक्षण नीति यहां के पर्यावरणीय नीति इन तमाम हालातो को देखते हुए क्या आज की जनसुनवाई 20.11.24 को जो यह जनसुनवाई करवा रहे हैं कितनी उचित होगी आपके लिए एक सवाल है कि जिला के पर्यावरण अधिकारी क्या आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या आपके पास मशीन हैं लोग हैं यह भी मैं जान रही हूं लेकिन आपके पास जो डाटा रहता है तो क्या हमें नए उद्योगों की स्थापना और पुराने उद्योगों के विस्तार के लिए क्या हमारी पारिस्थितिक तंत्र है और अगर है अगर आप मानते हैं तो, तो कैसे यह एक सवाल यहां पर जरूर आता है कि जब यहां की जो केवल स्केनिया की ही नहीं यह जो पूर्व के जो तीन चार धड़ाधड़ जनसुनवाई

Asahy 

करवाते रहे हैं और जिन्होंने अपनी बात रखी है उसके अलावा आप जिस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट के नीतियों का जिस तरीके से उल्लंघन जिला प्रशासन कर रहा है इसमें अन्य जो औद्योगिक क्षेत्र हैं यहां पर पूरी क्षेत्र जो है औद्योगिक पार्क के रूप में यहां जो माना जा रहा है सर आपसे निवेदन है कि इस पूरे क्षेत्र में उद्योगों को विस्तार देते रहे यह कि आप हमें जनसंख्या यहां कितने परिवार रहते हैं और उन परिवारों को यहां पर औद्योगिकरण और सामाजिक की कारण चाहे पुनर्वास हो पुनरबसर की जो आपकी जो नीति है पुनर्वास नीति की मैं बात कर रही हूं तो क्या यहां के माहौल उस स्तर के हैं यहां पर कोई गर्भवती रह जाए कोई मासूम बच्चा पैदा हो जाए जो शारीरिक मानसिक रूप से विकलांग ना हो बहरा ना हो गूंगा ना हो वह मानसिक रूप से स्वस्थ हो इस तरीके की कोई डेटा सरकार के पास एकत्र करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं और अगर इस प्रकार के डेटा आपके पास कुल कितनी गर्भवती ऐसे उद्योगों से सीधे प्रभावित होते हैं आंशिक प्रभावित है आने वाले भविष्य में इस क्षेत्र में जो पशु पक्षी हैं पेड़ पौधे हैं उसे सब पर क्या असर होगा क्या हमारे पास पुख्ता कोई गवर्नमेंट पास देता है क्या पुनरबसर की कोई कहीं व्यवस्था है अब लगाइए उद्योग आप करिए उद्योगों को क्षमता विस्तार आदरणीय मैं आपको बता दूं कि जिन जनसुनवाई को आप करवा रहे हैं वह जनसुनवाईयां आपने केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अधिसूचना 14 सितंबर 2006 के तहत किसी भी उद्योग के आवेदन जमा करने के 45 दिवस के भीतर जनसुनवाई हो जानी चाहिए आप करवा पाए क्या 45 दिवस के अंदर और जनमत संग्रह हो पाई अनुसूची पेसा क्षेत्र ग्राम सभाओं की अनुमति आपने ले लिया किस आधार पर यह जनसुनवाईयां हो रही है नींबू पानी आया है पी लीजिए थोड़ी देर बाद काफी आयेगा नाश्ता आयेगा पार्टी है तो हम यह जो जनसुनवाई करा रहे हैं इस तरीके के जो उल्लंघन है हां तो मुद्दा यह है जो इस तरीके का उल्लंघन है इस उल्लंघनों पर काबू आप कब कर पाएंगे शुक्रिया साहू साहब मेंसर्स स्केनिया पावर प्राइवेट लिमिटेड का जो विस्तार होने जा रहा है क्या आपने इस परियोजना के 10 किलोमीटर के गांव का अध्ययन किया है अध्ययन किया है तो यह जो बनाया है आपने मैं उद्योगों को दोष नहीं दे रही यहां के इआईए को भी लाई हूं हैं जो मोटा वाला है उसको निकालती हूं तो आपको दुख लग जाता है इसलिए बैग में रखी हूं। एनवायरनमेंट टेक ईस्ट प्राइवेट लिमिटेड यह जो आप लोग बना रहे हैं कब-कब अध्ययन किया गया है लाइट गोल हो गया कोई बात नहीं ये तो टेक्निकल प्रॉब्लम है मैं बर्दाश्त कर लूंगी तो हम यहां पर बात कर रहे थे कि यहां की भूमि की गुणवत्ता का कृषि विभाग से अध्ययन कराया है क्या यहां और लोग रहने लायक है गांव में यहां की जमीन है क्या उपजाऊ है यहां के जल स्रोत और यहां का नदियों उसके पानी के नमूनों को जांच कराया गया है किस क्वालिफिकेशन के लोग यहां काम करके सर्टिफिकेट दिए और चले आए जनसुनवाई कराने आप यह बताइए कि उनके इस क्षेत्र में भूगर्भ जल के स्तर कितना है आप यह बताइए कि आपके लिए जो भौगोलिक समन्वय है और जो परियोजना स्थल है और इस क्षेत्र की जो व्यापक पैमाने पर जो जैव



विविधता क्या नुकसान हो चुका है क्या नुकसान हो रहा है और भविष्य में हम कौन से ऐसे जीव जंतुओं को खो देंगे ऐसा कोई अध्ययन के आई आई ए में नहीं है चाहे यहां के वृक्षों को प्रजातियों के बारे में हो चाहे यहां के सरीसृप के बारे में हो चाहे जलीय जीवों के बारे में हो चाहे आपके अपने से निशाचारों और कई किस्म के तितलियों से लेकर हम केवल हाथी की बात ना करें हम बात करें उन तितलियों का उन केचुओं का उन भेड़िया लोगों का चिड़िया लोगों का जो पूरी पारिस्थितिक तंत्र एक तरीके से जुड़ा हुआ है कितने जंगल और यहां से जा सकते हैं तो आपको बता दूं इस तरीके की जनसुनवाईयों को क्यों करें दूसरा चीज है कि हमें ऐसे जनसुनवाईयों से किस तरीके से आप लोगों ने यहां डाला है की परियोजना स्थल के पास तुमिडीही बांध और राबो डेम की जल की गुणवत्ता का परिणाम इसमें डाला है हम अपने से एक भी नहीं जोड़ रहे हैं जो आपने लिखे हैं वह हम उसी के बात कर रहे हैं आदरणीय जल गुणवत्ता परिवेशीय वायु गुणवत्ता एक नया चीज बता दूं की बहुत सारे जो ट्रकों के आवाजाही से इस क्षेत्र के बच्चों में बड़ों में और गर्भवती शीशुवती माताओं में क्यों आ रहा है बहरापन क्योंकि बेतरतीत आप के परियोजनाओं में लगने वाले मशीन हैं रखे हैं जो सड़क पर आ रही हैं सड़क दुर्घटना की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं मुद्दा है कि क्या हमारी इतनी क्षमता है कि क्या हम ऐसे जनसुनवाईयां कराते रहें ऐसे हम विस्तार देते रहें वहीं पर मैं आपको बता दूं कि जिस वनस्पति के कारण कुछ संरचना काफी समृद्ध है उस समृद्धि का डाटा नहीं है साहाब आपके पास कैसे समृद्ध है यह आप किससे अध्यय कराये और टीम के दल कौन-कौन थे इस तरीके के लोगों के किसी भी किस्म के बयान बाजी फोकस ग्रुप डिस्कशन इंटरव्यू नहीं लगा है तो इनके बात को मना कौन है कौन मना है यह बात को कि आपके यहां जब यह अध्ययन करने गए बनाने के इनवायरमेंट एसेसमेंट बनाने से पहले कौन से समाज है जिसे सीधा प्रभाव किया तो इस तरीके की कुछ तकनीकी बिंदुओं को आप लोगों को जरूर देखना चाहिए वहीं पर जिस तरीके से हम यहां पर भूजल दोहन पानी कहां से लाएंगे यह भी देख लीजिए राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण आयोग द्वारा राज्य सरकार को जो दिशा निर्देश दिया गया है क्या उन दिशा निर्देशों के पालन अन्य के हुए जनसुनवाईयों में हो रहा है क्या कर हो गया जलवायु का जांच आदेश कुछ निकला है क्या उनके लिए क्योंकि उनका नया अपने स्थापित किया है एक उद्योग और एक को विस्तार दिया है उनकी क्या स्थिति है प्रत्येक हमारे पास कुल कितने उद्योग हैं और उन उद्योगों की स्थिति क्या है कितने इस पर अप्रवासी मजदूर काम करने आते हैं उनके सेहत और सेफ्टी का क्या हाल है आपके साथ-साथ में कुर्सी और लगाना चाहिए पीठासीन अधिकारी के बीच में वह है स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग के एक वन विभाग के की होनी चाहिए डीएफओ साहब को रहना चाहिए और बताना चाहिए कि उनके वनों में कितना नुकसान हुआ और इस नुकसान की भरपाई आप कैसे करेंगे सरकार करेगी कंपनियां करेंगे चक्रधर समारोह में हम हेमा मालिनी को नहीं नाच पाएंगे यहां तय करेंगे हम डीएमएफ के पैसे का सीएसआर के पैसे का आप कैसे करेंगे हालांकि इन जन सुनवाईयों में जिस तरीके से

लोगों के बीच में आप लोगों को एक व्यापक पैमाने में चुनाव के समय जैसे प्रचार प्रसार करते हैं जिस तरीके से विभागों में करते हैं सरकार की योजनाओं में करते हैं आपको इआईए और एसआईए ग्राम सभा खास करके पेसा ग्राम सभा जो छत्तीसगढ़ में लागू है उसको आप लोगों को व्यापक पैमाने पर प्रचार करने की आवश्यकता है लोगों को मालूम नहीं है तो आपसे क्या बहस करेंगे क्या इआईए पर बात करेंगे और क्या इस विषय पर बात करेंगे तो मुद्दा यह है कि इस क्षेत्र में किस चीजों की जानकारी नहीं है वहां पर जिला प्रशासन को व्यापक पैमाने पर एक जानकारी जरूर करनी चाहिए आसपास के क्षेत्र में 10 किलोमीटर की परिधि में 10 किलोमीटर के रेडियस में कितने गांव आते हैं वहां की मूलभूत सुविधाओं की स्थिति क्या है स्वास्थ्य शिक्षा क्या है वहां के बच्चों में क्या प्रयास समुदाय आदि आधारित चल रहा है कौन से सरकार आधारित चल रहा है कौन से आपके सीएसआर आधारित चल रहा है कौन से डीएमएफ संबंधी चल रहा है आपको एक स्वतंत्र समिति का गठन करना चाहिए जो समय-समय पर जिला प्रशासन और राज्य सरकार को एक रिपोर्ट दें क्लियर पिक्चर हो एक डाटा हो क्या कर चुके हैं क्या को रहे हैं क्या खो चुके हैं आगे भविष्य में क्या खोंगे आदरणीय आपको मैं सुझाव बार-बार देती रही हूं कि ऐसे जनसुनवाईयों को इतना आयोजन करने की आवश्यकता नहीं है जिला कलेक्टर से सीधा एक साइन कराईये और दे दीजिए पुलिस विभाग का इतना बड़ा अमला राजस्व कितना बड़ा अमला स्वास्थ्य विभाग का इतना बड़ा अमला फायर ब्रिगेड और अन्य जो भी हैं जो विभाग इस जनसुनवाई का आयोजन करने में बेचारे कोटवार तक जो इस जनसुनवाई में लगे हैं सब कम से कम उनको एक दिन की की जो मैं बार-बार बोलती हूं यह अतिरिक्त खर्च है राज्य सरकार के राज्य राज्य सरकार के ऊपर केंद्र सरकार के ऊपर नागरिकों के ऊपर ऐसी जनसुनवाईयां आयोजित करने का आप एक लाइन में कर दीजिए एक ही दिन में आप सारंगढ़ में करवा लिए रायगढ़ में 2 दिन हो गया तो एक साथ जितने जितने एप्लीकेशन आते हैं जनसुनवाईयां कराने के लिए तो समय सीमा को देखते हुए और सीमित संसाधन सीमित मानव संसाधन इन सब चीजों को काम करते हुए ऐसी जनसुनवाईयों का आयोजन अब नहीं करवाइए हो गया या तो आप किसी एक को जैसे सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र वहां जनता नहीं जाता ऐसे ही कोई क्षेत्र आप घोषित कर दीजिए नहीं आएं कोई ना जनसुनवाई करने की जरूरत है आपका समय मेरा समय खराब हो रहा है आप मुझे आपसे मिलने आना था एडिशनल कलेक्टर साहब से जानते हैं क्यों मेरे तरफ से एक रोड जा रहा है मेरे बीच घर से रोड जा रहा है मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है मैं बीपीएल हूं कैसे करूं अब मैं यहां पर आकर अब उसे विषय पर बात नहीं कर सकती मेरा व्यक्तिगत है वो तो उसे विषय के लिए जब तक यहां का आयोजन जब तक खत्म नहीं होता है तब तक मैं बात नहीं कर सकती आपसे यह तो तुम मेरे हालात है तो ऐसे जनता का हालत है इन जन सुनवाईयों के कारण मुझे नहीं लगता कि इन चीजों के बीच में जनसुनवाईयों की अब आवश्यकता है अब यह जनसुनवाईयां अनावश्यक हो गया है पूरे क्षेत्र को जिला प्रशासन अगर

Asaly

मुख्य और प्रिय पर्यावरण मंत्री पूर्व कलेक्टर साहब अगर सुन रहे हैं प्रशासनिक चीजों को समझते होंगे तो उनको अब कह देना चाहिए ओपी चौधरी साहब को की कुछ जो पार्टिकुलर क्षेत्र है औद्योगिक क्षेत्र ही हो जाए जनता को पूरी तरीके से निकाल कर बेहतर पुनर्वास पुनरबसर के नीति के साथ उन्हें सुरक्षित साफ भयमुक्त माहौल में उनको एक मानवीय जीवन जिए हैं तो तो उनको एक मानवीय हक जो मानव अधिकार के हक है उनको मिलना चाहिए तो मेरी बात इतनी है की आपको जरूर एक दिन का विभागीय तौर पर उनके पदों के अनुसार कम से कम 1 दिन की अतिरिक्त जो यह आप लोगों का आप काम कर रहे हैं यह सरकार का काम नहीं है कि आप इस तरीके के आयोजन करें इस तरीके की व्यवस्थाएं कराये लोगों के ऊपर भी अतिरिक्त है वह आपको आवेदन कराएगा कि आप उनकी जन सुनवाई करा दीजिए अब वह बेचारा अपने बेटे के शादी के लिए पंडाल लगा रहा है कैमरा लगवा रहा है मीडिया को बुला रहा है हमारे जैसे सामाजिक क्षेत्र के लोगों को बुला रहा है खाना खिला रहे हैं खाना केवल आपके विभागीय लोगों के लिए होना चाहिए हम यहां क्या खायेंगे तो मुद्दा यह है साहब ऐसी जनसुनवाईयां अतिरिक्त बोझ है हम उस समय पर जा रहे हैं जब हम कोविड क्राइसिस से गुजर रहे हैं बेरोजगारी चल रहे हैं और खास करके ऐसे उद्योग आते हैं तो एक महिला होने के नाते आपसे विशेष सुनिश्चित करना चाहती हूं ऐसे उद्योगों की स्थापना या विस्तार में उन महिलाओं के लिए सुरक्षित कम से कम 33 प्रतिशत महिलाओं का रहना चाहिए जिसमें कम से कम 5 प्रतिशत आपका विकलांग परिवार विकलांग व्यक्ति के लिए आज उसको दिव्यांग बोलते हैं दिव्यांग परिवारों के लिए आरक्षित रखने चाहिए सबसे पहले रोजगार यहां की स्थानीय व्यक्तियों के लिए 33 प्रतिशत महिलाओं को अच्छे और सम्मानित जगह पर कोई महिलाएं काम नहीं कर रही है उनका रोजगार पूर्णता से खत्म हो गया चाहे पशुपालन हो खत्म हो गया हम उनको ना तो सम्मानित रोजगार कंपनियों के अंदर दे पा रहे हैं चाहे वह निजी हो या सरकारी ना उद्योगों के अंदर वैकेंसी निकालिए साहाब महिलाओं के लिए सम्मानित रोजगार मजदूर एक सम्मानित आदिवासी महिला यहां के जो सामाजिक पारंपरिक वन निवासी है आज आपके सड़कों में झाड़ू मारने के लिए मजबूर है नहीं होती होगी आप लोगों को तकलीफ मुझे होती है महिलाओं को स्थाई सम्मानित और सुरक्षित रोजगार होना चाहिए जिस तरीके से अमूल दूध की फेडरेशन है आपका लिज्जत पापड़ है यह ऐसा फेडरेशन यहां की महिलाओं को शिक्षित महिलाओं को यहां पर काम दिलवाई है आज तकनीकी रूप से सक्षम नहीं है तकनीकी आईआईटी जैसे लगवाइए आईआईटी से सीखे महिलाएं सीखें अच्छा खासा लिखा था रिमूव काहे कर दिए अच्छा खासा सीख रहे थे रिपा में लिपा में बहुत सारी चीज थी बहुत सारी चीजों के यहां पर स्थापना किया जा रहा है उन्हें रोजगार के लिए रखें और इस तरीके से आप यहां के स्थानीय रोजगार को ठोस सुरक्षित बस आपसे इतना ही निवेदन था जनसुनवाईयों का हम तकनीकी रूप से जिस तरीके से कमियां हम आपको लिखित में दे रहे हैं मौखिक भी बताए हैं और साहाब इआईए बनाते हैं तो कृपया स्थानीय व्यक्तियों को ही साथ रखें





रोज-रोज आपको भी बोलना हमको अच्छा नहीं लगता तो मैं अपनी बात रखते हुए लिखित में दे रही हूँ कृपया आप इसे मुझे लिखित में पावती दें शुक्रिया धन्यवाद आप लोगों ने मुझे सुना।

379. पार्वती देवी – मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
380. नीता देवी – मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
381. पुष्पा कुमारी, पूंजीपथरा – मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
382. चंद्रकुंवर, सामारूमा – मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
383. रामबाई – मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
384. सीताबाई, सामारूमा – मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
385. भगवती, सामारूमा – मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
386. रेखा – मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
387. दिव्या – मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
388. हेमबाई – मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
389. कपेश्वरी, छर्राटांगर – मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
390. सुमति बाई – मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
391. तिहारी बाई, तुमीडीह – मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
392. सकुंतला, सामारूमा – मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
393. चंपा, सामारूमा – मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
394. गोपमती, तुमीडीह – मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
395. कुशमति – मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
396. कमला, पूंजीपथरा – मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
397. देवकी – मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
398. अंबिका – मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
399. राधाबाई, छर्राटांगर – मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
400. गंगा बाई, तुमीडीह – मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
401. रूकमणी – मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
402. रश्मी, तुमीडीह – मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
403. पूजा महंत, तुमीडीह – मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
404. ललिता – मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
405. ऊषा – मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

Asaly

Asaly

434. यादव महंत – मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
435. उमेश कुमार – मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
436. विजय भारती, पूंजीपथरा – मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
437. अहमद – मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
438. लक्ष्मीप्रसाद, छर्राटांगर – मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
439. भागीरथी, छर्राटांगर – मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
440. विजयदास – मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
441. त्रिलोचन – मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
442. पंचराम, तुमीडीह – मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
443. गुलाबो चौहान, तुमीडीह – मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
444. गोकुल – मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
445. लक्ष्मीनारायण, छर्राटांगर – इसमें जो भी काम हो रहा है उसको समर्थन है।
446. प्रकाश त्रिपाठी, लाखा – आज इस स्केनिया स्टील्स पावर्स लिमिटेड का जनसुनवाई हो रही है इसमें कुछ वक्तव्य देने आया हूँ। बहुत अच्छी बात है यहां प्लांट आया और इस क्षेत्र का विकास हुआ और पूंजीपथरा नाम पुरे भारतवर्ष में आ गया। यहां वर्षा के बाद घास भी नहीं होती थी लेकिन उद्योग के आने के बाद प्रदेश को राजस्व प्राप्त हुआ और लोगो को रोजगार के साधन उत्पन्न हुये। परिवारों का रोजी-रोटी चली और जिस क्षेत्र में उद्योग लगते है उस क्षेत्र में विकास होता है। हमारे क्षेत्र में जहां उद्योग नहीं है वहां के लोग खाली पड़े रहते है और वहां से दूर से यहां आकर काम करते है और यहां उद्योग लगना चाहिये। उद्योगों के विकास से ही देश का विकास संभव है। मैं चाहता हूँ कि इस क्षेत्र में उद्योगो की और सौगात मिले लेकिन उद्योग आने से विकास के साथ-साथ विनाश तो होता ही है मेरा निवेदन है साहू साहब इसका ध्यान रखे और पालन करवाये तथा यहां जो प्लांट लगे है इनके प्रदूषण के चलते जो भी बीमारियां हो रही है उनके स्वास्थ्य के लिये कंपनी ध्यान रखे। हमारे क्षेत्र में शिक्षा की कमी है और जो कंपनी में लगे है इस क्षेत्र के लोगो को रोजगार नहीं मिलता। क्षेत्र के पड़े-लिखे लोगो को ट्रेड करके उनको नौकरी दिया जाये, शिक्षा पर ध्यान दिया जाये, स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाये। रोडो की भी व्यवस्था के लिये हमारे सरकार से निवेदन है कि उनका भी व्यवस्था करें। हमारे क्षेत्र में काफी ज्यादा प्लांट लगे जिससे हमारा इनकम बढ़े। जब इस तरह के प्लांट लेंगे तो विकास होगा इसीलिये मैं मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड को समर्थन देता हूँ।
447. पुनाराम – मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
448. पुनाबाई, सामारुमा – मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

Asah

S

449. सुखबाई, सामारूमा – मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर्स प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
450. इंद्रा, पूंजीपथरा – मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर्स प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
451. अरुण कुमार मांझी – मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर्स प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
452. राजेश त्रिपाठी, रायगढ़ – सामान्य पीठासीन अधिकारी महोदय सामान्य पर्यावरण अधिकारी जिले के समस्त अधिकारी कर्मचारी गण हमारी सुरक्षा में लगे समस्त अधिकारी गण कर्मचारी गण पर्यावरण विभाग के अधिकारी गण कर्मचारी गण आज की जनसुनवाई में हार्दिक अभिनंदन हार्दिक स्वागत मैडम आज केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय की अधिसूचना 14 सितंबर 2006 के मापदंडों के अनुरूप है जनसुनवाई का आयोजन किया जा रहा है पिछले दिनों देखा गया था कि परियोजना स्थल से काफी जनसुनवाईयां होती थी आप लोगों से हम लोगों ने अनुरोध किया और अपने 14 सितंबर 2006 के अधिसूचना के नियम के मुताबिक पहली बात तो कोई भी जनसुनवाई परियोजना स्थल के ऊपर हो यह न्यूनतम दूरी पर हो इस बात को आप लोगों ने माना इसको स्वीकार किया इसके लिए इस बात के लिए बहुत-बहुत आभार धन्यवाद मैं चाहता हूं कि मैं किसी कंपनी का विरोध और समर्थन करने नहीं आया बल्कि जो आज के जनसुनवाई हो रही है पर्यावरण अगर किसी अगर किसी उद्योग का विस्तार होगा उसे 10 किलोमीटर एरिया के अंदर किस तरीके का वायु प्रदूषण जल प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण और क्या-क्या प्रभाव पड़ेंगे और उसे प्रभाव को हम किस किस तरीके से कम कर सकते हैं जिससे मानव जीवन मानव जीवन पर दुष्प्रभाव ना पड़े काफी लंबे आरसे के बाद इआईए का अध्ययन चल रहा था और देखा यह गया कि यह क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र घोषित हो चुका अभी कल मैंने पढ़ा की पूंजीपथरा ग्राम पंचायत के अंदर 200 हेक्टेयर का एक और औद्योगिक पार्क बनने वाला है और अगर इसकी तुलना करें वह एक तरीके से तराईमाल और पूंजीपथरा गैस चैंबर जैसे दिल्ली पीएम 10 और पीएम 2.5 की मात्रा 400 पहुंच गया। और उसकी वजह से स्कूल कॉलेज शासकीय जो सेवाएं उनको बंद करना पड़ रहा है और आने वाले समय वह स्थिति हमारे रायगढ़ की होने वाली है इस पूरे क्षेत्र का होगा इतनी ज्यादा प्रदूषण की मात्रा बढ़ जाएगी तो लोगों का जीवन जीना दुभर हो जाएगा यह जंगली जानवरों का भी काफी प्रभावित क्षेत्र रहा है इस क्षेत्र में हिरण है हाथी है जंगली सुअर हैं बंदर हैं भालू हैं खरगोश है और सैकड़ों प्रकार के सर्प की प्रजाति पाई जाती है सबसे महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जंगल उसकी आजीविका का सबसे महत्वपूर्ण साधन था एकता कृषि दूसरा था पशुधन और तीसरा था वनोपज का संग्रह करके आजीविका चलाना और संचालन करना पर देखा ही गया कि जिस तरीके से औद्योगिकरण हुआ और एक अव्यवस्थित औद्योगिकरण हुआ तो आज अगर हम कहें यदि पर्यावरणीय मापदंडों का पालन नहीं किया गया तो उसका परिणाम यह निकला की एक औद्योगिक हब के रूप में जिस तरीके से हुआ बढ़ोतरी हुई इस तरीके से पर्यावरण अगर इस पूरे क्षेत्र में देखें यहां से 10 किलोमीटर एरिया के अंदर सरायपाली गांव है वहां एक सिलिका पत्थर जिसे पीसकर पाउडर बनाने वाली

Asah
S

कंपनी है वहां उसे गांव की 14 लोग जो गांव के आते थे खुले 21 लोग काम करते थे सिलिकोसिस से 2015 तो 1 महीने हैदराबाद के मुरलीधर नाम के सिलिकोसिस के डॉक्टर थे जो मेंबर भी थे उनके माध्यम से कैंप लगवाया उन्होंने 48 लोगों का सैंपल लिया उनमें से 22 लोग जो थे सिलिकोसिस प्रभावित है और इनमें से 14 लोग जो थे सिलिकोसिस से अति प्रभावित है उनकी जो जिंदगी है 2 साल के अंदर और उसका कहीं कोई जिक्र नहीं होता अगर इस पूरे क्षेत्र में देखा जाए तो प्रदूषण की वजह से टीबी है दमा है स्नोफीलिया है कैंसर है महिलाओं में गर्भपात जैसे बीमारियां काफी बढ़ गई है और स्तनधारी जीवों पर उसका काफी प्रभाव पड़ रहा है तो निश्चित तौर पर अब हमको पर्यावरण की चिंता करनी चाहिए एनजीटी ने एनजीटी की विश्वास भगत वर्सेस राज्य सरकार वर्सेस भारत सरकार के केस में यह डिसीजन दिया कि इस क्षेत्र का जो है पर्यावरणीय अध्ययन के बगैर नई परियोजना की स्थापना एवं पुराने उद्योगों के विस्तार की अनुमति नहीं दे सकती और उसके पहले केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के एक टीम ने यहां अध्ययन किया था आपने किया था इसको लेकर जिंदल यूनिवर्सिटी जो यहां बनी हुई है और देखा यह गया कि वहां जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हें गंभीर बीमारी हो गई और जो बच्चों को मां-बाप हैं वह अपने घर लेकर जा रहे हैं इसके बाद वर्ष 2009-10 में एक अध्ययन हुआ था उसे रिपोर्ट में यह कहा गया यदि इस क्षेत्र से उद्योग हटाया जाए और यूनिवर्सिटी को रहना दिया जाए कॉलेज को रहने दिया जाए यदि इस क्षेत्र से उसे कॉलेज को हटाया जाए क्योंकि प्रदूषण की वजह से बच्चे यहां बीमार हो रहे हैं वर्ष 2006 में जो प्रदूषण था तब से लगभग 30 से 40 उद्योगों की स्थापना तथा विस्तार अनुमति हो चुकी है तो निश्चित तौर पर यह देखा जाए तो 30 से 40 गुना ज्यादा हमारा प्रदूषण यहां बढ़ चुका है हमारे यहां ईआईए यह लिख दिया जाता है कि जंगली जानवरों का आवागमन लगा है सर अभी यहां 20 दिन पहले अभी यहां से मुश्किल से 5 किलोमीटर दूर भी नहीं है चुहूकीमार करके एक गांव है और जिसमें तीन हाथी बिजली कारण से वहां मारे गए और जिस पर छत्तीसगढ़ के हाईकोर्ट ने जनहित याचिका के रूप में स्वीकार किया और छत्तीसगढ़ के सीसीएफ और छत्तीसगढ़ विद्युत पावर कंपनी से जवाब मांगा है कि आप बताइए की इस क्षेत्र में जितने बिजली की खंभे है उनकी ऊंचाई बढ़ाई जाए जिससे हाथी वहां आराम से निकल सके फारेस्ट विभाग को निर्देश दिया गया कि आप हाथियों के आवा गमन के रास्ते को चिन्ना अंकित करेंगे और हाथियों को किसी भी प्रकार का क्षति न हो परंतु हुआ पर उसके बाद जो भी पर ईआईए में कहीं नहीं था कि यहां हाथी है यहां सामारूमा का जो जंगल है हाथियों का सबसे सुरक्षित और सबसे बेहतर जगह है उड़ीसा से आने वाले हाथियों का जो 10 से 15 दिन का जो रहवास है ओ सामारूमा के जंगल में है और यह सामारूमा ग्राम पंचायत के अंदर का गांव है और फिर भी बोल रहे हैं कि हाथी नहीं है। अभी 158 हाथियों का दल घूम रहा है रायगढ़ में धरमजयगढ़ वनपरिक्षेत्र रायगढ़ वन परिक्षेत्र के अंदर घूम रहा है वन विभाग में दो यहां हाथी के टावर बनाये है एक आप घरघोड़ा जाएंगे सामारूमा के आगे टावर है हाथी

Asah

nh

वॉच टावर 25 लाख लागत के रुपए से बना है एक झिंगोल गांव वाले रास्ते में जाईए वहां हाथी वॉच टावर वहां बना है यहां तीन चार तालाब लगभग 25 लाख लगभग हाथियों को पानी पीने के लिए तालाब भी खोदा गया है और 48 हजार रुपए हाथियों के जो किसानों के फसल था तथा घर का क्षतिपूर्ति पहुंचा उसमें क्षतिपूर्ति भी दिया और फिर भी कहते हैं कि हाथी नहीं है तो यदि ओ वन विभाग के रिपोर्ट अगर झूठी है और उनके ऊपर यह कार्रवाई होनी चाहिए एफ आईआर होनी चाहिए केक तरीके से वन विभाग द्वारा किया गया करोड़ों रुपए का किया गया भ्रष्टाचार और यदि हाथी नहीं है तो हाथियों को पानी पिलाने का काम क्यों कर रहे हैं और दूसरी बात जगह-जगह आपने बोर्ड लगाया है 10 किलोमीटर के रेडियस में 20 बोर्ड लगे हैं जानबूझकर भले ही तोड़ दिया गया है उन्होंने खुद बोर्ड लगाया था कृपया वहां धीरे चलाएं यहां जंगली हाथियों का रहवास है उसमें लाखों रुपए का पोस्टर लगाकर किया गया या तो यह भ्रष्टाचार है और यदि वह जंगली जानवरों का रहवास क्षेत्र है आप खुद बोल रहे हैं कि यहां हिरण है आप खुद बोल रहे हैं कि यहां हाथी हैं आप यहां खुद बोल रहें हैं कि यहां भालू है आप खुद बोल रहे हैं कि यहां काफ़े मात्रा में सियार है लोमड़ी है आने को प्रकार के सांप है फिर हम जैव विविधता की बात करते हैं और यह पूरी दुनिया में यह हल्ला है अभी हम मास्को में एक आयोजन चल रहा था हमारे साथी वो गए हुए हैं और बहुत जैव विविधता के संबंध में इतने बड़े-बड़े लोग ज्ञानी ज्ञान दे रहे हैं की पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है देश के जो सबसे प्रभावित क्षेत्र है दिल्ली मुंबई और कई बड़े महानगर हैं अगर यह इतनी बड़ी समस्या है तो इसका समाधान कौन करेगा यहां तो सरकार जिनकी बैठी है हो तो बड़े-बड़े वकीलों ईडी और सीबीआई का छापा पड़ा हुआ है उन्होंने कहा तीनों लोगों के खिलाफ आप केस मत लडिये किसके किसके खिलाफ वेदांता, जिंदल और अडानी के खिलाफ अगर आप किससे लड़ोगे तो वकील आएगा तो मैं बुलाऊंगा नहीं वकीलों के घर सीबीआई का छापा पड़ गया ताला जड़ दिया गया स्थिति क्या बनी उनके जो बैंक अकाउंट को सीज कर दिया गया सरकार के द्वारा इस तरीके से संरक्षण का कार्य किया जा रहा है हमारे मुख्यमंत्री की घोषणा करते हैं कि एक पेड़ एक बार हसदेव के जंगल का क्या हश्र हुआ जो छत्तीसगढ़ के ऑक्सीजन का आत्मा है और हमारे ही जिले के पर्यावरण मंत्री हैं यहां के वित्त मंत्री भी हैं शिवपुरी का 199 हेक्टेयर का जंगल जो वास्तव में ऑक्सीजन है वो किसी कंपनी को स्पंज आयरन और पावर प्लांट लगाने के लिए दे दोगे रायगढ़ शहर में जो इतवारी बाजार है उसमें ऑक्सीजन बना दोगे इसकी जांच कौन करेगा इतवारी बाजार में 3 एकड़ में ऑक्सीजन बनाकर अभी मैं परसों पेपर में पढ़ रहा था मैडम दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर का 260 रुपए मिल रहा है और आपको दो घंटे तक ऑक्सीजन को सूंघना है जब हम बचपन में थे हर गांव में पढ़ते थे तो की शहर में पानी बिकता है तो विश्वास नहीं होता था और मैं गांव से पढ़कर शहर आया तो मुझे लगा कि अब गांव में भी हर घर में पानी बिकने लगा शादी ब्याह में बिसलेरी का पानी मिलता है कुएं का पानी नहीं मिलता हैंडपंप का बोरवेल का पानी पीने के लिए

नहीं मिलता तो क्या आने वाले समय में हम रायगढ़ के लोग 260 रुपए अभी तो प्रारंभिक है फिर 2060 रुपए हो जाएगा आपका गैस सिलेंडर है और क्या 1200 रुपये का सिलेंडर काम धाम छोड़कर और पूरे घर के लोग ऑक्सीजन सुंघने लगेंगे तो खाएंगे क्या तो यह भी हमारी एक चिंता का बात होनी चाहिए मैं किसी कंपनी का यह नहीं कहता इस देश में उद्योग लगना चाहिए औद्योगिक क्षेत्र की वजह से देश का विकास होगा चलिए परंतु पर्यावरण का जो मापदंड है उसकी जिम्मेदारी सरकार और उद्योग दोनों की जिम्मेदारी है पर्यावरणीय मापदंडों का पालन किया जाना चाहिए परंतु दुर्भाग्य है कि इसका पालन नहीं किया जाता तीसरी बात यह है कि सरकार और राजनीतिज्ञ जो गठजोड़ है रायगढ़ में इस प्रदेश के कई मंत्री मिनिस्टर्स और आईएस आईपीएस का उद्योगों में ब्लैक मनी लगी हैं अगर हां बोलेंगे तो हम नाम भी ले लेंगे परंतु दुर्भाग्य यह है कि एक-दो साल में वह रानू साहू न बन जाए रायगढ़ जिले की सीबीआई जांच चल रही थी 100 करोड़ रुपए कोयला घोटाले का और करने वाले कौन लोग हैं कौन इनकी जांच करेगा चाहे वह फलाई ऐश के निस्तारण की बात हो चाहे गंगा कटाई की बात हो मैं अभी आपको बता दूंगा अभी 15 दिन पहले रायगढ़ जिले में मुनारे चलते हैं मुनारे मतलब जंगल जंगल विभाग का एक मुनारा बनता है चिन्हांकन सीमा चिन्हांकन वह हमारे जिले में मैडम चलते हैं जामगांव में पहले एमएसपी ने अपनी जिंदगी में चलाया की लगभग 200 मीटर दूर जेसीबी से मुनारा को को खोद कर बीच में डाल दिया और उसके सीमांकन की जमीन पर कब्जा कर लिया दूसरी बार मुनारा चला रायगढ़ के मेडिकल कॉलेज में डीएफओ के लड़की को रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में एडमिशन चाहिए था उसे एडमिशन के लिए हमारा डीएफओ साहब पांडे साहब थे उन्होंने रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में मुनारा चला दिया और अभी 5 दिन पहले करीब 15 दिन हो गए की देलारी गांव में एक कोई कंपनी है उसने पहले मुनारा को 100 मीटर पीछे खीसका कर के कब्जा किया और जब हमको पता चला तो मिडिया के लोगों को हम लोगों ने भेजा तो जब रिपोर्ट बनी तो उसे मुनारे को उस कंपनी ने तोड़ दिया इसकी रिपोर्ट जब वहां के रेंजर साहब को किया गया तो ठीक ठीक है आपके माध्यम से पता चला हम इसकी जांच करते हैं फिर एसडीएम साहब के पास गए एसडीओ फॉरेस्ट उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा हुआ है चलिए मैं इस पर जांच करवाता हूं फिर इसके बाद रायगढ़ के डीएफओ मैडम के पास गए अच्छा-अच्छा यह आपके माध्यम से पता चला है उस पर हम कार्यवाही करते हैं तो यह सब चीज मेरी वजह से पता चला है हमारे लोगों की वजह से पता चला है तो आपका डिपार्टमेंट क्या कर रहा था और मजे की बात बता दूं मैडम छत्तीसगढ़ का कोई भी ईमानदार अधिकारी रायगढ़ नहीं आना चाहता किसी भी पद पर इवेन वह बाबू व चपरासी भी नहीं बनना चाहता और यहां की जो बेईमान भ्रष्टाचार अधिकारी है वह यहां से जाना भी नहीं चाहते इतना पैसा मिल रहा है यह भी सत्य है आज अगर आप देखे तो वन विभाग का यह हाल है राजस्व विभाग क्या हालत है सीएम बीसी पीएससी जिसका अदानी घोटाला करता है वह छत्तीसगढ़ पावर जनरेशन की कंपनी है बजरमुड़ा गांव है वहां का मुआवजा

Sealy

S

बना 115 करोड़ हमारे जिले के अधिकारी लोगों ने बंदर बाट किया और 415 करोड़ रुपए मुआवजा दे दिया जहां मुर्गी नहीं तो वहां मुर्गी का पैसा मिल गया आप सोचिए किसी आदमी ने कभी सोचा कि किसी आदमी का 20 लाख रुपए शौचालय का मुआवजा मिला हो आप मेरे साथ चलिए मैं बताता हूं एक आदमी को उसके शौचालय का मुआवजा हमारे एसडीएम कार्यालय घरघोड़ा से 15 से 20 लाख रुपए मिला जिस जमीन में पेड़ पौधे हैं ही नहीं वहां यह बता दिया गया कि वहां 1500 से 3000 पेड़ हैं आज जिसका मुआवजा बना था एक करोड़ 5 लाख रुपए उसको मुआवजा मिला 16 करोड़ रुपए अब मामला बढ़ा तो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट पहुंच गया सीबीआई के पास भी पहुंच गया यह मेरी जानकारी है जब अधिकारियों को अपने नाती पोतों के साथ खेलने के समय आएगा तब यह बिलासपुर के सेंट्रल जेल में दिखेंगे रानू साहू के बगल वाले रूम में जिस तरीके से भ्रष्टाचार जिस तरीके से रेवेन्यू के लोगों ने आपके कलेक्टर के ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया कलेक्टर साहब के पास यहां जब सर्व हुए तो कोई स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ था मुआवजा देने के बाद जब वहां समय आया मुर्गी का वहां कच्चे मात्रा पक्का मात्रा जमीन का डायवर्सन हो गया आ यह डायवर्सन किस लिए हुआ क्यों समय के तत्कालीन एसडीएम साहब जो थे एक डायवर्सन का एक एकड़ जमीन के 5 डिसमिल जमीन का वह 100000 रुपए अपनी फीस लेते थे और इस मंच के माध्यम से मैं कह रहा हूं कि उसे एसडीएम साहब ने घरघोड़ा से लगभग 300 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया किसानों के खाते में पैसा डालकर अब आप यह बताइए बजरमुड़ा में 80 प्रतिशत लोग बीपीएल है और अगर वह बीपीएल है तो उनका मुआवजा 400 करोड़ रुपए कैसे बन गया 15 एकड़ का 10 एकड़ का 20 एकड़ का तो बीपीएल का मापदंड क्या है गरीबी रेखा के नीचे और अभी भी वह बीपीएल है उतनी मुआवजे के बाद भी वह बीपीएल है और ईमानदारी से बता दूं कि बजरमुड़ा न्यू मुंबई है वहां किसके मकान मैडम नहीं बन रहे हैं बड़े-बड़े अधिकारियों के राजनेताओं के पूर्व के राज्यपाल थे उनके भतीजे का भी वहां ढाई एकड़ जमीन है कागज चाहिए कागज में दे दूंगा कागज मेरे पास तू जब राज्यपाल भ्रष्ट हो मुख्यमंत्री भ्रष्ट हो शिक्षा मंत्री भ्रष्ट हो पर्यावरण मंत्री भ्रष्ट हो उद्योग मंत्री भ्रष्ट हो तो ईमानदारी की बात हम किससे करें किस तरह इस देश के लोगों को न्याय मिलेगा और मुझे लगता है कि अगर अब भी अगर कार्यवाही तारण प्रकाश सिन्हा जी जब कलेक्टर थे रेत उत्खनन का 15-15, 20-20 गाड़ी कलेक्ट्रेट के सामने खड़ी रहती थी और उसे समय पर आदेश था कि इनका एक महीने तक खाली रखो और और उसके बाद 30-30, 40-40 हजार का जुर्माना लगाता था अभी भी एनजीटी के पूरे रेत खदानों को बंद करने के बाद भी महानदी और माण्ड नदी से हजारों टन रेत रोज निकल रहा है हर रोज पेपर में छप रहा है पर्यावरण मंत्री जो मेरे जिले के हैं आखिर इनको संरक्षण किसका है कौन इनका संरक्षण देता है रायगढ़ जिला में घर दुर्घटनाओं के अगर बात करें तो 73 मौतें हर महीने हो रही हैं और उसका मूल कारण है कि हमारे जिले में औद्योगीकरण कोयला खदान तो खुली पर इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ा आज भी रोड में चक्का जाम हो रहा है

Asah

S

सड़के नहीं बनी डीएमएफ का 1500, 1800 करोड रुपए होने के बाद भी कोयला प्रभावित क्षेत्र में डीएमएफ के मुताबिक आज भी सड़क नहीं बनी आखिर जिले का पैसा जाता कहां है हमारे जिले में दूसरे रानू साहू नहीं है ज्योति गिरी की किस तरीके से डीएमएफ के पैसे का हर कंपनियों से दो परसेंट के हिसाब से अमित कटारिया साहब के समय से सीएसआर का पैसा जिले में जमा करवा दिया जाता था और उसमें चक्रधर समारोह में कथक नृत्य करवाया जाता है अगर उस कथक नृत्य से मेरे को क्या लेना देना सामारूमा के लोगों को साफ पानी चाहिए स्कूल में गुरुजी चाहिए हमको उसे कथक मैसेज क्या लेना देना अभी मैं पढ़ रहा था जब चक्रधर समारोह में 25 लाख 30 लाख दे रहे थे काहे का नाचने का 35 लाख रुपये दिए मेरे को अगर 5 लाख दिए होते तो मैं उनसे बेहतर नाच दिया होता और पैसा डोनेट कर दिया होता शिक्षा स्वास्थ्य बिजली सड़क और पानी के लिए पैसा खर्च करना चाहिए डीएमएफ का पैसा नाच गाने में जिला विकास का पैसा नाच गाने में सीएसआर का पैसा नाच गाने में तो आप गांव के लोगों को 1993 से जो औद्योगिकरण हुआ उस गांव के लोगों को क्या मिला आपके जो दावे थे कि यहां औद्योगिकरण होगा यहां कोयला की खदानें खुलेंगे बड़े-बड़े यूनिवर्सिटी बनेगी बड़े-बड़े हॉस्पिटल बनेंगे 6 लाइन की सड़क बन जाएगी डॉक्टर इंजीनियर पैदा होने लगेंगे आज मैडम बता दूं यहां के लोगों में दरुहा फैला हुआ है गांजा पीके सड़क के किनारे पड़े रहते हैं बच्चे तो पड़े रहते हैं स्कूल के गुरुजी भी गांजा पीके पड़े रहते हैं अभी कल परसों लोगों ने शिकायत किया था कलेक्टर साहब से की गुरु जी दारू पीके आता है चटाई बिछा के सो जाता है शाम को चला जाता है तो यह तो हमारे शिक्षा व्यवस्था की बदहाल हुई और रायगढ़ जिले को छत्तीसगढ़ को नशा मुक्त करेंगे नशा मुक्ति का यह हाल है कि अभी राज्य सरकार ने एक निर्देश जारी किया जो भी आदमी 25 लाख रुपए जमा कर दे तो रेस्टोरेंट में भी अब शराब मिलेगी परोसी जाएगी ऐ कहीं सरकार और पूंजी पतियों का मिली भगत तो नहीं है की जो वर्तमान पीढ़ी को नशे में इतना चुर कर दो के सरकार से और राजनेताओं से ना पूछे कि हमारे व्यवस्था क्या होगी हमारा रोजगार क्या होगा हमारा शिक्षा क्या होगा हमारा जंगल क्या होगा हमारा पहाड़ क्या होगा और यह बहुत मुश्किल समय है और मुझे लगता है कि अगर इस पर इन मुद्दों को लेकर यदि हम गंभीरता से काम नहीं किया तो आने वाले समय यह होगा रायगढ़ खास तौर पर लैलूंगा विधानसभा का क्षेत्र विधानसभा के नक्शे से जैसे सीरिया गायब हुआ था वैसे गायब हो जाएगा क्योंकि अभी 56 कोल माइंस अभी विस्थापित होने वाले हैं तो यह आपका पूरा कोल माइंस झींगोल के आगे आपका पूरा उधर हमीरपुर तक कोल माइंस में चला गया फिर 14 गांव फिर 14 गांव गुजरात पावर में चला गया फिर अभी इधर जेएसडब्ल्यू को गया है 14 गांव आपके इसमें महाजेंको में बचा कुछ जो दो-चार गांव जो बचे हैं जिंदल ले लेगा तो उनके पुनर्वास का कोई बात नहीं टांगर घाट में आप जाइए जिंदल ने किसान की जमीन को तीन तरीके से खोद दिया खोदने के बाद यह कह दिया कि गांव का साथ एकड़ जमीन जो पानी भरने से अन्न का एक दाना नहीं

Asah

S

होगा उसके जमीन में और जिंदल वालों को जब मैं बोलता था तुम इसकी बात मत करो हम ऊपर वालों को देख लेंगे यहां तो मरे हुए आदमी का रजिस्ट्री हो रही है 2019 में यहां एक आदमी कोरोना में मर गया और 2024 में जिंदल ने उसका एक भालो करके है एक महामहीम हैं मुझे लगता है कि वह पैदा नहीं हुए हैं वह आए हैं वह मरे हुए आदमी को कोर्ट में तहसील में घरघोड़ा में खड़ा करके उसकी 3.5 एकड़ सावित्री नगर की जमीन बिक्री नकल भी निकल जाता है रजिस्ट्री हो जाती है नाम भी ट्रांसफर हो जाता है और जिम्मेदार कौन है जब बड़े लोगों की गर्दन फसती है तो जिम्मेदार उसे राजस्व विभाग का पटवारी वन विभाग का नाका और पुलिस विभाग का सिपाही यह दोषी हैं अगर पुरस्कार मिला मिलेगा तो क्या होता रायगढ़ जिले के कलेक्टर को भारत सरकार बुलाती है वह चित्रमाला देती है तब वह गांव का सीईओ को पटवारी को नहीं बुलाती है इधर डीएफओ साहब लेंगे इधर एसपी साहब को मिलेगा परंतु जब उनके ऊपर कोई बात आए तो पटवारी को दो पटवारीयों को बाजरमुंडा में सस्पेंड करके जिला प्रशासन ने अपनी जांच की फाइल लंबित कर दे पटवारी ठीक है उसकी बिक्री कर दिया ठीक है तो आरआई क्या कर रहा था जांच किया जब उसकी जमीन का रजिस्ट्री हुई तो रजिस्ट्रार क्या कर रहा था तहसीलदार क्या कर रहा था एसडीएम साहब क्या कर रहे थे कलेक्टर रायगढ़ जिले के क्या कर रहे थे वह भी बोले होंगे भीम सिंह सहाब टाइप के मेरे लिए भी 3 एकड़ जुगाड़ करो भाई ले लेते हैं। उसे जिस क्षेत्र भी बजरंगुड़ा में है कलेक्टर साहब का एसडीओ साहब का फॉरेस्ट का पटवारी का आर आई का किसकी जमीन नहीं है और धारा चार लगाने के बाद इनका डायवर्सन भी हो गया जो की धारा 4 क्या कहता है धारा चार में जो यथा स्थिति जमीन है उसे यथा स्थित जमीन को नहीं बदल सकता फिर पेसा एक्ट कानून आता है पेसा एक्ट कानून यह कहता है अब एक सूचना का अधिकार लगाने के बाद एसडीएम कार्यालय से एक जवाब आया मैडम उन्होंने लिख कर दिया है और उसको हाई कोर्ट में हमने या याचिका का के रूप में लगाया है उन्होंने कहा कि खनन क्षेत्र के लिए किसी भी ग्राम सभा की अनुमति की जरूरत नहीं है अभी पिछले महीने जो जमीन का भू अर्जन नया रायपुर में हुआ था वहां एक किसान ने बिलासपुर हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई थी उसने बिना ग्राम सभा के अनुमति के बगैर भू अर्जन किए हुए जमीन को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने वापस करने का आदेश दिया है तो क्या एसडीएम साहब को आदेश को नहीं पड़ा है मैं भेजा हूं उसको व्यक्तिगत भेजा हूं फिर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अभी कहा कि ग्राम सभा के अनुमति को कलेक्टर परिवर्तित नहीं कर सकता क्या वह भी गलत है और पैसा एक कानून का पेज क्रमांक 16,17, 18 भू राजस्व के नियम को राजस्व विभाग के एसडीएम को पढ़ना चाहिए उसमें लिखा है कि ग्राम सभा 15 दिन पहले आपको सूचना देना पड़ेगा की किस बात के लिए ग्राम सभा हो रहे हैं उसमें कलेक्टर के प्रतिनिधि के रूप में मिनिमम नायब तहसीलदार को उस ग्राम के ग्राम सभा में शामिल होना है पांचवी अनुसूची क्षेत्र में कुल मतदाताओं का 80 प्रतिशत उसमें 33 प्रतिशत महिलाओं का होना अनिवार्य है और जो ग्राम सभा का निर्णय

Asaly

§


होगा वह अंतिम होगा अगर किसी कारणवश ग्राम सभा में लोग उपस्थित नहीं होते और भू अर्जन से संबंधित अगर मामला है तो उसे ग्राम सभा को निरस्त करके अगले 6 महीने बाद कराई जाएगी पट्टिए में बता दे रहा हूं जो मैं पढ़ा हूं पेसा कानून के अंदर फिर राज्य सरकार ने एक निर्देश दिया गया क्या था मैडम एसआईआरटी में एक मिस्टर जयसवाल है फ़ैकल्टी है वहां के वहां एक पेसा एक्ट कानून को लेकर एक प्रशिक्षण चल रहा है उन्होंने मुझे कहा कि त्रिपाठी जी पेसा एक्ट कानून को लेकर मटेरियल दिलाई कुछ तो गांव में ग्राम सभा करके आधारभूत मटेरियल तैयार किया और उनको भेजो कि मेरे हाथ में सरकार के निर्देश हैं कि ग्राम सभा में पेसा एक्ट कानून का नहीं होगा इसके बाद आपके पंचायत सचिव ने उसे लेटर को लगाते हुए सभी कलेक्टरों को भेजा है कि पेशा एक्ट क्षेत्र में जन जागरूकता लाने के लिए सभा मीटिंग रैली जुलूस प्रशिक्षण किया जाए और पेशा एक्ट क्षेत्र में ग्राम सभा द्वारा निर्णय को अंतिम रूप से लागू किया जाए यह राज्य सरकार के निर्देश हैं तो अगर यह उनके निर्देश हैं और मजे की बात यह है कि अभी जो सरगुजा में जो हुआ जब प्रशासन की जो दादागिरी चलती है वहां एक महिला सरपंच थी एसडीएम साहब और कलेक्टर साहब को कमीशन नहीं दे रही थी निर्माण कार्य का एसडीएम साहब ने धारा 40 में उस महिला को सरपंच पद से हटा दिया आप महिला लड़ते-लड़ते सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए अभी 5 दिन पहले निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट का कि उसे सरपंच को यथा स्थिति रखने का आदेश दिया और जो जिला प्रशासन और जो एसडीएम ने जो उसने पृथक किया था उसके सैलरी से काटकर उसे महिला को 100000 रुपए का भुगतान किया जाए यह अभी जशपुर में हुआ तो यह भी एक प्रश्न है की धारा 40 में आप सरपंच को बाहर कर दोगे और उसी पंचायती राज में धारा 45 में लिखा है की पांचवी अनुसूची क्षेत्र में बिना ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के अनुमति कि आप पैर नहीं रख सकते चाहे कलेक्टर रहो की मुख्यमंत्री रहो चाहे कोई भी रहो तो फिर आप बिना पूछे कैसे चले गए तो पेसा एक्ट कानून की जो यह दुर्गति है अभी हम कल से कोशिश कर रहे हैं देश भर में जो अलग-अलग क्षेत्र में पीएचडी किए रहते हैं जो पर्यावरण क्षेत्र में काम करते हैं रसायन के क्षेत्र में जूलॉजी है बॉटनी है ऐसे लोगों की टीम अभी पहुंच रही है रायगढ़ अभी 11:00 बजे और उनके साथ हम रायगढ़ के पर्यावरणीय स्थिति का अध्ययन कर रहे हैं और आने वाले समय में क्या किया जाए उसकी पूरी रणनीति तैयार कर रहे हैं कई लोग बोलते हैं कि आप इतना लंबा क्यों बोलते हैं इस इआईए को तीन बार पढ़ चुका हूं 750 पेज का है और इसी इआईए के अंदर असलियत यह है सर इस क्षेत्र में कोई इआईए नहीं बनता नलवा की जनसुनवाई 2006 में हुई थी उसके बाद से बस कंपनी का नाम बदल जाता है एड्रेस बदल जाता है इसके बाद इआईए में कोई परिवर्तन नहीं होता इस क्षेत्र में इतने आंगनवाड़ियां है उसे उसमें पढ़ रहे बच्चों का कोई हेल्थ चेकअप नहीं इस क्षेत्र में 40 से 50 स्कूल हैं उन बच्चों को कोई डाटा नहीं तो हम किसी का विरोध नहीं करते यह आया क्रिटिक है और क्रिटिक होने के नाते इस इआईए को फाइनल रूप देने के लिए इस क्षेत्र का





नागरिक होने के नाते मेरी जिम्मेदारी होती है कि जब भी फाइनल आया बने तो जो चीज इस क्रिटिक ईआईए में छूट गया है उन चीजों को फाइनल ईआईए में जोड़ा जाए उसके बाद सरकार को अंतिम ईआईए दिया जाए केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय इस क्षेत्र के लोगों को संवेदना रूप से देखते हुए विचार करें की पर्यावरणीय अनुमति देना है कि नहीं देना है नैतिक जिम्मेदारियां की जय हिंद जय भारत।

453. जयंत बहिदार, रायगढ़ – आदरणीय पिठासीन अधिकारी पर्यावरण महोदय फिर से अपना नाम बताता हूं जयंत वहीदार सामाजिक कार्यकर्ता रायगढ़ जिला हम छत्तीसगढ़ के कई जिलों में जाते हैं बहुत-बहुत धन्यवाद राजेश त्रिपाठी भाई आपने रायगढ़ जिला और खासकर इस आदिवासी जिले की जो पर्यावरण की बुरी हालत है और और जो उद्योगी का दुष्प्रभाव इस क्षेत्र में जनता किसान खेत जंगल आदि पर पड़ा है उसको बताया बहुत विस्तार से और शासन प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया मेरा ऐसा विश्वास है कि क्षेत्र के लोग इस लोक सुनवाई में उपस्थित नहीं है प्रशासन के लोग हैं पर्यावरण विभाग के लोग हैं उनको कुछ समझ में आएगा जो बोला जाता है कहा जाता है सुझाव दिए जाते हैं विचार व्यक्त किए जाते हैं और और डरते नहीं प्रभावित लोगों को जरूर प्रभावित करेगा आदरणीय महोदय आज आप लोग मैसेज इसके लिए स्टील्स एंड पावर लिमिटेड ग्राम पूंजीपथरा में स्थित है आपके इस लोक सुनवाई स्थल के सामने है उसके विस्तार की जनसुनवाई आप करा रहे हैं इस लोक सुनवाई के लिए भारत सरकार ने जो ईआईए अधिसूचना 2006 उसके बाद उसमें संशोधन हुए हैं पर्यावरण विभाग के द्वारा जो जारी हुआ लागू है उसके प्रावधानों का पालन होना चाहिए और किसी विस्तार परियोजना विस्तार परियोजना के लिए भारत सरकार पर्यावरण मंत्रालय द्वारा टर्मस एंड रेफरेंस जारी किया गया है दो बार एक बार दिनांक 19.02.2022 को और दूसरी बार अमेंडमेंट करके दिनांक 06.03.2024 को मैं इसलिये इसको नहीं बोल रहा हूं केवल परियोजना का ड्राफ्ट रिपोर्ट है फाइनल नहीं है इसका सार है इसका उद्देश्य भी पढ़ रहा हूं। इन्होंने ईआईए रिपोर्ट भी आर को शामिल करके बनाने का दावा किया है। उन्होंने इस प्रस्तावित परियोजना के कंसल्टेंट ने और प्रस्तावक ने न तो ड्राफ्ट ईआईए रिपोर्ट बनाते समय भारत सरकार द्वारा जारी ईआईए अधिसूचना 2006 का पालन किया है और न ही टर्मस ऑफ रिफरेंस आदेश का कम्प्लायेंस किया है। इन्होंने नहीं किया यह घोर अन्याय है। उन्होंने इनके शर्तों का समावेश भी नहीं किया झूठी रिपोर्ट बनाया है मैं इस आधार पर आपसे अनुरोध करता हूं कि ये लोकसुनवाई को स्थगित किया जाये क्योंकि इन्होंने प्रावधानों का पालन नहीं किया। पहले बताये हैं इन्होंने जो टीओआर जारी किया है भारत सरकार ने 19.02.2022 और एक 01 मार्च से 06 मार्च 2024 का इन्होंने कहने का मतलब है कि प्रस्तावित परियोजना के लिए प्रस्तावक ने जो ईआईए बनाया जो कंसल्टेंट ने बनाया है उससे संबंधित है। कंसल्टेंट ने यह दावा किया है कि हमने 01 अक्टूबर 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक हमने पर्यावरणीय अध्ययन किया है 10 किलोमीटर के परिधि में परियोजना से 10 किलोमीटर के रेडियस में डाटा कलेक्शन किया है। और 01 मार्च 2024 से 31 मार्च 2024 तक

पर्यावरण अध्ययन करने का उन्होंने दावा किया है रिपोर्ट में इन्होंने लिख दिया है। हमारा कहना है यह झूठी रिपोर्ट है। क्योंकि जो कंसल्टेंट कंपनी है मेसर्स इनवारोटेक प्राइवेट लिमिटेड इस रिपोर्ट में संलग्न किया है। 21 अक्टूबर को एम माह में एक दिन के लिए अध्ययन किया है और उन्होंने डिक्लेरियेशन किया है। मैं इसकी कॉपी दिया हूँ आप देखेंगे, उन्होंने हस्ताक्षर किये हैं दिनांक नहीं दिया अक्टूबर 2021 और उसके बाद नवम्बर एवं दिसम्बर 2021 में अध्ययन नहीं किया है। छः माह से उन्होंने 31 मई तक अध्ययन करने का दावा किया है ओ भी नहीं किया है आप उसको देखेंगे। भारत सरकार के पर्यावरण वन मंत्रालय द्वारा कंसल्टेंट के लिए जितने हमारे देश है उनके लिए उनके जो विशेषज्ञ है वैज्ञानिक हैं उनके लिए लाइसेंस जारी करते हैं और उसकी भी अवधि होती है। उन्होंने जारी किया है भारत सरकार ने इस मेसर्स इन्वारोटेक प्राइवेट लिमिटेड के जो विशेषज्ञ को लाइसेंस जारी किया है वो 15 नवम्बर 2018 के आदेश के अनुसार उनकी लाइसेंस की अवधि दिनांक 14 नवम्बर 2023 को समाप्त हो गया है। कंसल्टेंट को और यहां पर अपनी प्रस्तुती करने स्पष्टीकरण देने पर्यावरण की रिपोर्ट की जानकारी देने का अधिकार नहीं है और न तो 01 मार्च 2024 से 31 मार्च 2024 तक जो पर्यावरण का अध्ययन किया है उसको बनाने का इनको अधिकार नहीं है वह गैर कानून है। इसकी भी कॉपी हमने लगाया है। इस तरीके से जो इआईए इन्होंने बनाया है वह झूठी है। अब दूसरी बात पर आते हैं इआईए अधिसूचना 2006 के पैराग्राफ 7 के तहत परिशिष्ट 4 देखेंगे उसमें बिन्दु क्रमांक 7.1 में बताया है कि आवेदन के प्रस्तावक से अनुरोध पत्र प्राप्ति दिनांक से 45 दिनों के अंदर जनसुनवाई होनी चाहिये। इसका कई जनसुनवाइयों में पालन नहीं हुआ है आज भी इसका पालन नहीं हुआ है इसलिये भी लोकसुनवाई को स्थगित करना चाहिये। और दूसरी बात है कि उसी परिशिष्ट 4 के अंतर्गत 7.2 बिन्दु में 45 दिनों के अंदर यदि लोकसुनवाई पर्यावरण विभाग नहीं पूरा करता है तो केन्द्र सरकार दूसरे किसी अधिकरण को इस लोकसुनवाई को पूरा करने के लिए सौंप सकता है। इसका पर्यावरण विभाग ने पालन नहीं किया। ये जैसे राजेश त्रिपाठी जी ने बताया कि देश में पेसा कानून यहां प्रभावशील है। भारत सरकार की पांचवी अनुसूची यहां पर लागू होता है ये आदिवासी अनुसूचीत क्षेत्र है। यहां इस क्षेत्र में 50 प्रतिशत से अधिक आदिवासी निवास करते हैं जो खेती किसानों से जुड़े हुए हैं वनोपज संग्रह कर आजीवीका चलाते हैं यहां ग्राम सभा अनिवार्य है, और उससे अनुमति लेना अनिवार्य है। परंतु इस परियोजना के लिए पूंजीपथरा और तुमिडीह के ग्राम पंचायत से अनुमति प्राप्त नहीं किया गया है और यदि किया गया है तो उसको बताना चाहिये बताया जाये। इस इआईए में मेरी आपत्ति है। प्रस्तावित परियोजना के लिए आप लोगों ने लिखा है। यहां जिनका प्लांट है पिछले 20 वर्षों से अधिक हो गया उसमें इन्होंने बताया है और उसमें हम आपको बताना चाहते हैं। इनकी जो पुरानी ऊर्जा प्लांट है जिसमें ग्रीनबेल्ट एक तिहाई क्षेत्र में नहीं है पालन नहीं गया है शर्तों का और मौजूदा प्लांट के लिए जो संचालित है उसकी कृषि भूमि पर संचालित है उसका डायवर्सन नहीं हुआ है। मौजूदा प्लांट और प्रस्तावित परियोजना के लिए

Asah

S

दोनो का भूमि मिलाकर 92 एकड़ भूमि 37.23 हेक्टेयर और इस तरह से 92 एकड़ भूमि इन्होंने बताया है की इतना भूमि लगेगा। उस भूमि का ग्राम वार खसरा नं. नहीं है और कितने खसरे में है वह नहीं बताया है। आप लोग बिना जमीन खसरा का चिन्हांकन किये जनसुनवाई करते हैं यह अवैध है। और प्रक्रिया को पर्यावरण मंत्रालय पूरी करती है यह अवैध है। अगर पर्यावरण मंत्रालय यदि नहीं देखता है तो जिला प्रशासन को देखना चाहीये हो सकता है जो उन्होने खसरा नं बताया है जो खसरा नहीं बताया है ऐसी ही बताया है 92 एकड़ मौजूदा प्लांट और प्रस्तावित प्लांट विस्थापित होगा हो सकता है वह भूमि सरकार की भूमि हो गौचर की भूमि हो छोटे बड़े झाड़ जंगल की भूमि हो वन भूमि हो नदी तालाब की भूमि हो क्या जांच किया है इसका मैं इसलिये बोल रहा हूं। जब हम पिछले दिनों गांवों में चर्चा करने आये थे इस प्लांट का दर्शन करने आये ग्रामीणों से मिलने तो पता चला ये नाला बहती है ये जो हमारा पूंजीपथरा थाना है उसके दक्षिण दिशा में एक नाला बहकर आती है और ओ प्रस्तावित स्थल के पास से यह जाकर के पीछे कोई गांव है वहां पर बांध है 5 गांवों का सिंचाई होता है उसी पानी में अभी तो बांध सूख गया है निश्चित ही बरसात में वह बहुत बड़ा तालाब दिखता है और पांच गांवों में सिंचाई होता है। तुमिडीह से हर्राडीह तक जाता है आस पास के 5 गांव में जाता है सरकार का बांध है इसको पाट रहा है ये जो इंडस्ट्रीयल पार्क है ये जो जिंदल इण्डस्ट्रीयल पार्क वहा से संचालित है एक प्लांट मेसर्स तिरूमाला बालाजी प्लांट है ओ पटवा रहा है इसे। आपने ये जनसुनवाई स्थल में जो बजरी दिया था कोयला का जो रेत है चुरा है इसको वह पाट रहा है बांध में और वह तिरूमाला ही पाट रहा है आपको मैं बता दे रहा हूं तिरूमाला फ़ैक्ट्री में ही उत्पादन होता है इसको पाटा जा रहा है मैं थाना गया थाने में रिपोर्ट किया हां यह तो दिख रहा है और इस पूंजीपथरा गांव से तुमिडीह गांव से उस पर एक पैदल तथा मोटर सायकल जाने का भी रास्ता था उसको भी पाट दिया। पूरा नाला को पाट रहा है आप जिस रास्ते से आ रहे हैं आपको वह रास्ता नहीं बताया गया है। तिरूमाला कंपनी ने पाटा है उसको आप उस रास्ते पर नहीं आ सकते आप इधर से आये है ये सामारूमा जाने वाले रास्ते में इधर से आप आये हो उसकी भी पावती मैने दिया है। मेरा यह गुजारिश है कि यह भी पर्यावरण का मामला है नाले को पाट देना। सरकारी नाला है गांव का सार्वजनिक संपत्ति है देश का संपत्ति है जिसका पानी जाकर वहां पर मिल रहा है। तिरूमाला के उपर कानूनी कार्यवाही होनी चाहीये हमको समय नहीं मिला कलेक्टर साहब को देने जाने के लिए पर देंगे आपको सूचित कर रहा हूं अगर प्रशासन के संज्ञान में आ गया तो कानूनी कार्यवाही होनी चाहीये आपको लिखित में दे रहे हैं। वहां एक राजेन्द्र सागर नाम का एक लड़का है निवासी है उसका भी एक एकड़ जमीन को पाट दिया है तिरूमाला बालाजी ने उसके जो ठेकेदार पाटने का काम कर रहे थे पूंजीपथरा के है वों दो लोग मजदूर है दो भाई हैं एक है बता रहा हूं मै उनका नाम पूंजीपथरा के है दोनों एक गंगाराम माझी और संगीत मांझी मैने नाम से रिपोर्ट किया है क्योंकि मैने देखा है डंफर से पाट रहा था। मैं बयान दे दूंगा और कंपनी के

Asahy

S

खिलाफ बयान दूंगा जो यहां पटवा रहा है नाली को। और हो सकता है ओ भी जनसुनवाई करवाये तुमिडीह बांध को पाटकर के। प्रस्तावित इस परियोजना के 10 किलोमीटर के परिधि में आप कहते हैं न बंजारी मंदिर है 10 किलोमीटर के परिधि में बंजारी मंदिर के इधर आता है। जंगल है यहां पर संरक्षित एवं आरक्षित वन है यहां पर ये सब प्रभावित हो रहे हैं। आप बोल रही होगी की जयंत बहिदार बहुत बोलता है मैं तो आपका सम्मान करता हूं। आप लोग तो अधिकारी है आप दोनों का मैं बोलूँ क्या यहां तो बालने के लिए जनता है ही नहीं। प्रशासन का काम था कि आस-पास के 10 किलोमीटर के दायरे के लोग आये आपने तो प्रचार ही नहीं किया लोगों को बताया नहीं कि इस उद्योग से क्या फायदा होगा और इसके कारण जो भयावह स्थिति पैदा होगी जो गांवों पर प्रभाव पड़ेगा यहां के जन जीवन पर यहां के जंगली जीवों पर वनस्पति पर कितना वनोपज खर्च होगा लोगों की आजीविका छिन जायेगा ये तो बताया नहीं गांव वाले इसलिये नहीं आये। और दूसरी बात की आपकी जनसुनवाई का कोई परिणाम नहीं निकलता। इसके लिए भी आप जिम्मेदार है तो मैं कितने जोर से भी बोलूँ। हांथी इस क्षेत्र में आते हैं इस परियोजना के 10 किलोमीटर के परिधि में हाथियों का आना जाना है गांवों में नुकसान करते हैं लोग मारे जा रहे हैं और सबको प्रशासन को मालूम हैं। परंतु छत्तीसगढ़ सरकार भारत सरकार हाथियों का गलियारा घोषित नहीं कर रहा है। जंगली हाथियों ने गलियारा बना लिया है पिछले 25-30 सालों में उनके आने जाने का मार्ग स्थायी है ओ साल में कई मरतबा आना जाना करते हैं वह उनका स्थाई है हमारे छत्तीसगढ़ में धरमजयगढ़, अंबिकापुर, जशपुर, कोरबा आना जाना है पुरे छत्तीसगढ़ में जंगलों का प्रदेश है आदिवासी बाहुल्य जनता का प्रदेश है। यहां का पर्यावरण अच्छा था। आप लोगों के कारण आप लोगों के ढिलाई के कारण प्रशासन पर आरोप लगता हूँ इनकी निष्क्रियता के कारण बेतरतीत फ़ैक्ट्री स्थापित हो रहे हैं पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचा रहे है लोगों का जीना हराम हो गया है। प्रस्तावित परियोजना के लिए इन्होंने अपने इआईए रिपोर्ट में 05 बोरवेल अनुमति का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। केन्द्रीय भू जल प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त है। मालूम है आप देख रहें उसको देखिये उसको ओ 05 बोरवेल की जो अनुमति है उसकी वैधता तिथी खत्म हो गई है उसकी वैधता तिथी 31.05.2024 को समाप्त हो गई है जो पिछले समय में खत्म हो गया है आप बोलेंगी की नया अनुमति मिल जायेगा बता दिजिये एमेंडमेंट हो गया कल आया परसों आया कब आया। अगर इआईए रिपोर्ट बनने तक कोई अनुमति या एनओसी नहीं मिला है तो लोकसुनवाई नहीं कर सकते कहां है वो बोरवेल की अनुमति कहां है। हम तो प्रशासन को सहयोग करना चाहते हैं करते हैं हम तो प्रावधान है उसको भी बताते हैं आप बोलोगे की पर्यावरण के बारे में बोलों ओ राजेश त्रिपाठी जी मुझसे ज्यादा बोलते हैं ओ पर्यावरण की खामियों को पर्यावरण से जो नुकसान होगा उसको बोलते हैं। मैं उसको कितना बोलूंगा। मैं लोक सुनवाई स्थगित हो मैं उसी बात को बोलता हूँ जिससे लोक सुनवाई को स्थगित करना चाहीये वहीँ प्रावधानों को उसी बात को बतलाता हूँ पर आप लोग

Asah

S

लोकसुनवाई को स्थगित करते नहीं हैं प्रावधान होते हुए भी। लोकसुनवाईयों को स्थगित किया जा सकता है अगर ऐसी परिस्थितियां बने। यदि ठोस कारण हो तो लोक सुनवाई को स्थगित किया जा सकता है लेकिन आप करते नहीं हैं इनके पास लाइसेंस नहीं है अनुमति नहीं है फिर भी आप लोग जनसुनवाई को स्थगित नहीं करेंगे। इन्होंने कहा कि फ्लाई ऐश जो निकलेगा इस प्रस्तावित परियोजना में सीमेंट और ईट निर्माण के लिए देंगे कारखानों को पुराना जो इनका प्लांट है डीआरआई स्पंज आयरन प्लांट चल रहा है तो उसमें कितने लोगों को फ्लाई ऐश दिया क्या प्रमाण पत्र है उसका। ईट बनाने के लिए सीमेंट फैक्ट्री में सीमेंट बनाने के लिए प्रमाण पत्र लगाया है इन्होंने मौजूदा प्लांट है नहीं लगाया है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये सब रिपोर्ट लाना था आप लोगों को जांच करना चाहीये। आदरणीय एसडीएम साहाब नमस्कार। ये जो खामियां है इनसे जवाब तलब करिये और फिर भेजिये पर्यावरण मंत्रालय में प्रस्तावित प्रस्तावित परियोजना के लिए इन्होंने बताया कि 1800 व्यक्तियों को नौकरियां देंगे नियमित भी संविदा भी मौजूदा प्लान में कितने लोग करते हैं संविदा कितने हैं नियमित कितने हैं यह सब नहीं बताएं हैं कितना वेतन देते हैं उनका भविष्य निधि कितना कटता है बेसिक क्या सुविधा है कुछ नहीं आप पूछिये उनसे जो मौजूदा प्लांट उसे पर क्या सुविधा है उसके बाद ही तो नये प्लांट के विस्तार की अनुमति देंगे और है भी मैं आ रहा हूं उस पर तीन चिमनियों का इन्होंने बताया कि तीन चिमनियों का अनुमति मिला है पिछले इन्चायरनमेंट क्लीयरेंस में बताया है शायद दो चिमनी चल रहा है एक चिमनी अभी चालू नहीं किया है कोई बात नहीं इस प्रस्तावित परियोजना के लिए नौ चिमनी लगाने का इन्होंने दावा किया है। तो इस तरह से 12 चिमनी हो गया इस प्लांट में उत्पादन क्षमता 5 गुना से अधिक होगा अभी वर्तमान प्लांट का जो उत्पादन क्षमता है उसे 5 गुना उत्पादन क्षमता होगा 5 गुना से अधिक जल लगेगा पानी लगेगा 5 गुना से ज्यादा कोयला लगेगा बताइए कितना प्रदूषण फैलेगा और यह कहते हैं कि हम जो प्रदूषित पानी जल है हम हम इसको बाहर नहीं भेजेंगे रोक के रखेंगे इन्होंने यह नहीं बताया कि प्लांट के अंदर सिंचाई होगा वृक्षारोपण पर ग्रीन बेल्ट पर और सड़कों पर धूल उड़ने से रोकने के लिए आपको मालूम है आप ईआईए निकालिए हम अंग्रेजी माध्यम तो नहीं जानते हिंदी में यह लिखा है यह जो निरर्थक उद्देश्य है उनको इन्होंने ब्रैकेट में लिया है जल जो है प्रदूषण जल या वेस्ट जल इसको निरर्थक उद्देश्यों के लिए हम उपयोग करेंगे निरर्थक उसमें ग्रीन बेल्ट में सिंचाई धूल न हो सड़कों पर यह कर लेंगे क्या आप कैसे बनाते हैं ईआईए अंग्रेजी के जो बुक है ना ईआईए उसमें लिखा है नान क्रिटिकल पर्पस अगर इस निरर्थक उद्देश्य मानते हैं तो मैं कभी भी और लोकसुनवाई में नहीं जाऊंगा जान लीजिए सर आप दोनों भी तो अंग्रेजी जानते हैं एसडीएम साहाब को भी बुला लीजिए अगर नॉन क्रिटिकल पर्पस को हिंदी में निरर्थक उद्देश्य कहते हैं तो बता दीजिए ए नान क्रिटिकल पर्पस को आप निरर्थक उद्देश्य बता देंगे वृक्षारोपण में ग्रीन बेल्ट में पानी देना या सड़कों पर पानी के छिड़काव करना यह निरर्थक उद्देश्य हो गया धूल उड़ेगा तो प्रदूषण होगा लोगों के

Asah

साथ में जाएगा फेफड़ों में जाएगा इसलिए तो पानी छिड़का जाता है आप उसको निरर्थक उद्देश्य बोलते हैं हो सकता है तकनीकी चीज ना हो मशीन चलाने के लिए कैपटिव पावर प्लांट चलाने के लिए पानी उपयोग ना होता होगा प्रदूषित पानी है वेस्ट पानी है तो आप उसको निरर्थक बोलेंगे हद हो गया जी सर अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप मेरे को टोकिए हो सकता है हो मेरे से गलती हो गया हो पढ़ने में समझने में आप भी बोलिए ना कर पर्यावरण अधिकारी महोदय आप बोलिए ताकि हमको शिक्षा मिलेगी मैं आपको बोल रहा हूं आदरणीय साहू सर मैं गलत अगर बोल रहा हूं तो आप टोक देना न सर ताकि हमको सिखने के लिए मिले तो मैंने पहले ही बताया कि मौजूदा प्लांट में 33: क्षेत्र पर ग्रीन बेल्ट विकसित नहीं किया है अभी प्लांट वाला पूछ लो बहुत पतले पतले वृक्ष इतने छोटे-छोटे पेड़ होंगे जो उसने बीच को छिड़क दिया होगा तो अभी जो बरसात गई है उसमें ऊग गया होगा और एक चीज मैं आपको बता रहा हूं प्लांट वाले अपने प्रशासनिक सुविधा के लिए जहां ऑफिस का उसके लिए बहुत वृक्ष लगा देते हैं ताकि वहां उसे धूल है हमारे फैक्ट्री का वह मत है मगर ग्रीन बेल्ट का मतलब एक जगह 10000 वृक्ष लगाने का नहीं जैसे इन्होंने दावा किया है यह नहीं है जितनी जमीन है इसका एक तिहाई रेडियस में चारों तरफ 7 मीटर 7.5 मीटर 10 मीटर 15 मीटर चौड़ाई का ग्रीनबेल्ट बनाकर लगाना है केवल अपने बचाव के लिए नहीं बोर कर रहा हूं क्या साहू साहब तो अपने ऑफिस में अपने अफसर को बचाने के लिए वृक्षारोपण नहीं होता है पर्यावरण को बचाने के लिए इसलिए वैज्ञानिकों ने सरकार ने यह प्रावधान रखा है की परियोजना के चारों तरफ ग्रीन बेल्ट लगाकर इसलिए एक तिहाई जमीन भूमि आरक्षित किया है वह 5, 10 प्रतिशत भूमि से नहीं होगा 5, 10 प्रतिशत जमीन पर आप वृक्षारोपण कर दिए और पूरे प्लांट की तरफ से प्रदूषण है धूल डस्ट है हवा में जा रहा है पूरे जिले में लगता है आप लोग बोर हो रहे हैं अधिकारी महोदय प्रस्तावित परियोजना जो बताया गया वह पूरा होता है आप लोग मंजूरी देते हैं भारत सरकार मजबूर करता है तो क्षेत्रीय पर्यावरण को बहुत नुकसान होगा यहां के लोगों को हमारे जिले के लोगों को साफ हवा में सांस लेने का मौलिक अधिकार है आपको भी आपको भी साफ वातावरण में स्वच्छ हवा लेने का मौलिक अधिकार है मैं मानव अधिकार आयोग में जाऊंगा एक मेरे मित्र सदस्य बन गए हैं मैंने मौखिक बात किया और उसको बधाई भी दिया क्यों मानव अधिकार आयोग सदस्य बने बोला भाई मैं आऊंगा कोई शिकायत होगा तो जरूर आओ बोले यह भी करूंगा की रायगढ़ जिले में शुद्ध हवा लेना हमारा मौलिक अधिकार है मैं शिकायत करूंगा जहां-जहां पहुंच सकते हैं जाएंगे मेरा यह मांग है कि जनसुनवाई को यही स्थगित करिए मजदूरों के लिए मत भेजिए धन्यवाद। सर मैंने पहले प्रार्थना किया है कि कागज 10 का दस्तावेज रखने के लिए एक डेस्क उसको रखवाएंगे प्रार्थना है सर क्योंकि आप तो रोकोगे नहीं परियोजना के लिए जनसुनवाई को मगर जनता को सुविधा होगा बस इतना ही मेरा आपसे प्रार्थना है धन्यवाद।

454. कौशल पटेल, सामारुमा - मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

Scals 

455. मलजित तिर्की, पूंजीपथरा – मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
456. जमुना, पूंजीपथरा – मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
457. कन्हैया गुप्ता, तुमीडीह – मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है और धन्यवाद देता हूँ प्लांट और आना चाहिये।
458. मुकेश राठिया, तुमीडीह – मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
459. पंचराम मालाकार, तराईमाल – मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
460. शिवचंद्र साहू, गोदगोदा – मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
461. खीरसागर मालाकार, तराईमाल – मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है। रोजगार के अवसर बढ़े हैं लोग सुंदर जीवन यापन कर रहे हैं।
462. श्यामदास महंत, छर्राटांगर – मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
463. होलेश्वर – मेसर्स स्केनिया स्टील्स एण्ड पॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

पीठासीन अधिकारी महोदया ने कहा कि यदि कोई ग्रामीणजन, आस-पास के प्रभावित लोग अपना पक्ष रखने में छूट गये हो तो मंच के पास आ जाये। जनसुनवाई की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने पुनः कहा कि कोई गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधी छूट गये हो तो वो आ जाये। इस जन सुनवाई के दौरान परियोजना के संबंध में बहुत सारे सुझाव, विचार, आपत्ति लिखित एवं मौखिक में आये हैं जिसके अभिलेखन की कार्यवाही की गई है। इसके बाद 02.30 बजे कंपनी के प्रतिनिधि/पर्यावरण कंसलटेंट को जनता द्वारा उठाये गये मुद्दों तथा अन्य तथ्यों पर कंडिकावार तथ्यात्मक जानकारी/स्पष्टीकरण देने के लिये कहा गया।

श्री जे.के सिन्हा कंसल्टेंट इन्वायरोटेक प्राइवेट लिमिटेड- नमस्कार आप लोगों ने जो यह जनसुनवाई हुई सारी कमियों को नोट किया जो भी कमियां हैं उसको मैं बताना चाहूंगा भारत सरकार पर्यावरण वन मंत्रालय की जो अधिसूचना है उसके अनुसार यह ड्राफ्ट ईआईए रिपोर्ट तैयार की गई उसके हिसाब से जनसुनवाई हुई है और यह फाइनल यह नहीं है ड्राफ्टिंग है तो यह जनसुनवाई इसीलिए होती है आपके विचारों को जो भी परामर्श आप देते हैं उन सब को नोट किया जाता है और नोट करने के उपरांत फाइनल ईआईए रिपोर्ट बनाई जाती है और इसको फिर अपलोड किया जाता है यह जो वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का जो वेबसाइट है फिर अपलोड किया जाएगा पब्लिक व्यू में होता है आप लोग भी देख सकते हैं क्या उसमें नोट करते हैं क्या उस रिपोर्ट में है क्या उसमें चेंज किए गए हैं आपके विचार और सुझाव उसमें समावेश किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं इन सब को पालन कर सकते हैं इन सबको समावेश किया जाएगा और उसके बाद ही फाइनल ईआईए रिपोर्ट का वहां पर अप्रैजल होगा और यह काफी हाई लेवल कमिटी होती है दिल्ली में अप्रैजल होगी हम लोग रिपोर्ट को प्रेजेंट करेंगे जब तक सेटिस्फाई नहीं होंगे रिपोर्ट से तब तक एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिलेगा इसके बाद आपके कुछ पॉइंट आए थे जैसे मैं संक्षिप्त में बताना चाहूंगा की जो लैंड के बारे में आपने

Acarya

बताया था 92 एकड़ का लैंड, लैंड पूरी तरह से इसका डिटेल अपलोड किया गया है साइड में उसके आधार पर ही टीओआर का डिसेजन हुआ था अप्रेजल हुआ था और यह रिवाइज्ड तौर पर 2024 में आई थी लैंड के आधार नहीं दिया गया था उसके बाद जो प्रोजेक्ट इनका चल रहा है जो डी आर आई और डब्ल्यू एच आर बी इसका सी.टी.ई. है सी.टी.ओ. है सारा इसको उसी से मिला हुआ है इसके आधार पर चला रहे हैं और वैलिड है तीसरा पॉइंट था जो इंपॉर्टेंट है की पानी का परमिशन नहीं है बोरवेल का एक्सपायर होने से पहले इसका आवेदन दे दिया गया था और भी 21 मई 2027 तक वैध है इसको मैं यहां पर क्लियर करना चाहता हूं चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट था रिगार्डिंग ईआईए कंसलटेंट यह कंसलटेंट का एक बहुत ही एग्जॉस्टिक प्रोसेस है कोई भी ईआईए रिपोर्ट तब ईआईए रिपोर्ट तैयार नहीं कर सकता इसके लिए नेबेट पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नेबेट को यहां पर यह किया है रिक्वायर्ड है पूरी तरह से जितने भी कंसलटेंट है ईआईए रिपोर्ट का असेसमेंट किया जाता है सारा एविडेंस तैयार किया जाता है सभी आपको वेबसाइट में मिलेगा मेरा नाम भी मिलेगा और कंपनी के और लोग हैं उनका नाम भी मिलेगा आप देख सकते हैं वेबसाइट में नेबेट के साइड पर मिलेगा जो यह परिवेश पोर्टल है जो एमओईएफ का साइट है वहां पर आप हमारी कंपनी का नाम आप देख सकते हैं कब तक वैलिड है जैसे आपने बोला की वैलिडिटी खत्म हो गई है यह सही नहीं है वैलिडिटी अभी दिसंबर 2025 तक है अरे समय-समय पर बढ़ते रहता है यह जो मेजर पॉइंट्स थे आपके और दूसरा है टी.ओ.आर कंप्लायंस ईआईए रिपोर्ट में नहीं दिया गया है अब देखिएगा यह रिपोर्ट के लास्ट में बहुत सारे पेजेस हैं ओ टी.ओ.आर कंप्लायंस ही है पूरे पॉइंट के साथ दिया हुआ है कंप्लायंस नहीं होता तो रिपोर्ट हम लोग सबमिट नहीं करते दूसरा है जो डाटा लिया गया था एक बार 2021 में एक बार 2024 में क्योंकि जो ये गाइडलाइंस के हिसाब से जो नोटिफिकेशन है उसमें 3 साल वैलिड होना चाहिए डाटा प्रक्रिया चल रहा था टी.ओ.आर का अमेंडमेंट हुआ यह जो प्रोजेक्ट प्रोपोजेंट है सभी सीरियस होते हैं यह ज्यादा सीरियस है और हम लोगों की बात इन्होंने मानी है जब तक बहुत सारा इनफॉर्मेशन इकट्ठा नहीं हुआ है तब तक हमने एप्लीकेशन नहीं दिया है सबकी क्रिएटिविटी होती है क्रेडेंशियल 3 साल का समय चला गया और जब रिवाइज्ड टी.ओ.आर. आया हम लोग को बेसलाइन डाटा एक बार और जनरेट करना पड़ा क्योंकि 3 साल खत्म हो चुके थे और उसके बाद ही पब्लिक हियरिंग में हम लोग यहां आए हैं यहां सभी पूरी चीजों को सब्सीट्यूट किया गया है वह सब को देखा गया है किसी चीज को नजर अंदाज नहीं किया गया है इवेन जो बोला गया यहां पर सीएसआर के बारे में बात हुआ है पब्लिक हियरिंग उसी के लिए हो रहा है क्योंकि पहले सीईआर रिपोर्ट हुआ करता था अभी जो एम एमओईएफ का नोटिफिकेशन है पब्लिक हियरिंग में जो भी मुद्दे उड़ाते हैं इसके अगेंस्ट में प्रोजेक्ट प्रोपोजेंट को फिजिकल टर्म में काम करना पड़ेगा जब तक की प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता है तो यह काम करेंगे उसमें पैसा खर्च होगा जो आप लोगों ने मुद्दे उठाए हैं निश्चित रूप से ईआईए रिपोर्ट में डाल देंगे तो सारी बातों को रिकॉर्ड की गई है हम लोग हर चीज का एनालिसिस करेंगे आकलन करेंगे सबको डाला जाएगा यहां पर डालने के बाद हम लोग विजिट करेंगे जो गाइडलाइंस के हिसाब से

Asahy

S

है उसके बाद ही पर्यावरण स्वीकृति वहां से होगी उसके बाद ये डोलोचार के बारे में बोला गया था जैसे मैं 2018 में भी यहां पर आया था पब्लिक हियरिंग को फेस किया था उसे समय भी मुद्दा उठाया गया था डोलोचार का, तो डोलोचार का एबीसी बॉयलर का प्रावधान था उस समय भी लेकिन एमओईएफ ने मंजूरी नहीं दी थी क्रिटिकल एरिया के दायरे में ही आता है लेकिन उसमें दिया गया था काफी एरिया पोल्यूटेड हो चुका है यहां पर तो एफबीसी को आप यहां से दूर कहीं भी कीजिए दूसरे जगह कीजिए इसलिए इनको मंजूरी नहीं मिला वहां से लेकिन अभी मिली है तो काफी बड़ा प्लांट आ रहा है डीआरआई प्लांट लगाएंगे यहां पर तो डोलोचार का प्लांट लगेगा आप लोगों के सहयोग से एफबीसी लगाने से इसका निराकरण होगा दूसरा हो गया फलाई ऐश के बारे में एक्वुअली में अगर पावर प्लांट होता तो फलाई ऐश का यहां उत्पादन होता लेकिन चुकी कोई पावर प्लांट नहीं है तो फलाई एस उत्पादन नहीं है यहां पर सिर्फ डोलोचार का हो रहा है तो फलाई इस जब पावर प्लांट आएगा तो सीमेंट में यह स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है सीमेंट में उसे करते हैं और पैसा दे कर लेते हैं ईट निर्माण के लिए किया जाता है गाइडलाइंस के हिसाब से है जितने भी प्रोजेक्ट वगैरा लगाएंगे उसमें फलाईऐश को यूज करना है गाइडलाइंस के हिसाब से बहुत सारे गाइडलाइन है गवर्नमेंट के उसके बाद एंफ्लॉयमेंट की बात है विस्तार होता है तो एंफ्लॉयमेंट तो जो प्रोजेक्ट प्रतिनिधि हैं मतलब वह भी कंफर्म कर लेंगे और हियरिंग रिपोर्ट में उसको डाला जाएगा तो एंफ्लॉयमेंट होगा और सीएसआर जो देंगे उसमें रिक्ल डेवलपमेंट का भी प्रावधान है यहां पर कंसर्न यह भी उठा है और यह बात बहुत हद तक सही है जो इंस्टीट्यूशंस आएंगे गवर्नमेंट का इसमें काम है बाकी कुछ भी नहीं कर सकते लेकिन अगर पब्लिक के डिमांड होगा तो और इंस्टीट्यूशंस आ सकते हैं यहां पर और रिक्ल डेवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट जो पैसा खर्च कर सकता है लेकिन गवर्नमेंट के साथ ही मिलकर इसको करना होगा फिर इसमें जो भी समुदाय के विकास के लिए कार्य होते हैं यह गवर्नमेंट के साथ मिलकर ही करना है आवश्यकता के अनुसार होता है तो जो यहां के लोगों की आवश्यकता होगी जिस गांव में हो सकता है उतना ज्यादा जहां डेवलपमेंट नहीं हुआ है उसके ऊपर फोकस ज्यादा दिया जाएगा और यह और इसमें आप लोगों का भी सहयोग होना चाहीये। क्योंकि हो सकता है एक साल, दो साल, पांच साल लगेगा क्योंकि प्रोजेक्ट एक या दो साल में नहीं हो सकता है तो जब तक लगेगा उस हिसाब से गाइडलाइन के हिसाब से पैसा खर्च करेंगे लेकिन यह पब्लिक हियरिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें जो इश्यू उठेगा उसके अगैस्ट में पैसा खर्च करेंगे। फिर इसमें जीरो डिस्चार्ज के बारे बात हो रही थी तो अभी तक जो हम लोगों का सर्वे था प्लांट के तरफ से जो भी अभी संचालित हो रही है उसमें कोई डिस्चार्ज नहीं हो रहा है और जो भी फ्यूचर में प्लांट लगाया जायेगा ये चूँकि इंटीग्रेटेड होगा तो आप समझ कर चलिये की अभी जो प्लांट चल रहा उससे बेतर होगा क्योंकि जो ये इंटीग्रेट प्लांट होता है तो एक तरफ राँ मटेरियल होता है और तरफ प्रोडक्ट होता है अल्टीमेटली वह फाइनल होता है अभी क्या यह डीआरआई में चल रहा है इसी का ये राँ मटेरियल है इनका प्रोडक्ट है अब क्या होगा इण्डक्शन चलेगा उसमें डीआरआई होता है उसके बाद इण्डक्शन से मटेरियल आयेगा तो ये सब होने से क्या

Asala

S

है सारा इन्टीग्रेटेड होगा ये प्लांट बहुत बेहतर होगा फिर रोलिंग मिल में क्या होगा डायरेक्ट हॉट बिलेट्स होगा उसमें कोई एमिशन नहीं होगा डायरेक्ट फायनल प्रोडक्ट होगा ये सारा इन्टीग्रेटेड होकर प्रोडक्ट जायेगा ओ बेटर होगा इसमें क्या होता पानी का रिसायक्लिंग होगा जो दैट इज मच-मच बेटर तो इसको ध्यान में रखा गया है। ये जो सारी छोटी मोटी चीजे होती है ऐ एविडेंस होते हैं ये पर्यावरणीय सलाह के रूप में हमारी भी जिम्मेदारी होती है की एक अच्छी रिपोर्ट बने हम इसी बिजनेस में है ये हमारा प्रोफेशनल है तो अफकोस हम इस पर ध्यान देंगे हो सकता है कुछ कमी हो जायेगी क्योंकि यह बहुत ही क्रिटिकल सब्जेक्ट है यह किसी के कमांड में नहीं है पूरी दूनिया में नहीं है तो हमारे में भी कैसे होगा जब तक पब्लिक को सहयोग नहीं होगा लोकल चीजें नहीं होगा आपका सहयोग हमेशा से ही चाहिये उम्मीद करता हूं आगे बेहतर होगा ये रायगढ़ का और भी विकास होगा आपका विकास होगा इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।


पीठासीन अधिकारी महोदया द्वारा समाप्ति की घोषणा – लोकसुनवाई के दौरान 04 अभ्यावेदन प्रस्तुत किये गये तथा पूर्व में 02 अभ्यावेदन प्राप्त हुये है। लोक सुनवाई में लगभग 600 लोगों का जन समुदाय एकत्रित हुआ। उपस्थिति पत्रक पर 140 लोगों ने हस्ताक्षर किये। संपूर्ण लोक सुनवाई की वीडियोग्राफी की गई है। लोक सुनवाई में उपस्थित सभी लोगों का धन्यवाद! आज की लोकसुनवाई की समाप्ति की घोषणा की जाती है।



(अंकुर साहू)

क्षेत्रीय अधिकारी

छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायगढ़ (छ.ग.)



(संतनु देवी जांगड़े)

अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
जिला-रायगढ़ (छ.ग.)